

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1520] No. 1520] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 9, 2019/वैशाख 19, 1941

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2019/VAISAKHA 19, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2019

का.आ.1709 (अ).—दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता में गठित अधिकरण, जिसको विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 (1) के अंतर्गत यह न्याय-निर्णय करने संबंधी मामला भेजा गया था कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, के आदेश को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अनुसार आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

[सं. 11011/5/2018-एन.ई. V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन

अधिकरण

के विषय में : नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) एवं ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ)

और के विषय में : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अधीन संदर्भ

रिपोर्ट

(1) श्री सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 अक्तूबर, 2018 को इस आशय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5078 (अ) जारी की गई थी कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और उसके सभी गुट, विंग और अग्रणी संगठन (जिसे इसमें इसके बाद एनएलएफटी कहा गया है) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और उसके सभी गुट, विंग और अग्रणी संगठन (जिसे इसमें इसके बाद एटीटीएफ कहा गया है) विधिविरुद्ध संगम हैं।

2393 GI/2019 (1)

- (2) भारत सरकार का यह मत है कि एनएलएफटी और एटीटीएफ का घोषित उद्देश्य त्रिपुरा के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के साथ मिलकर सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से त्रिपुरा को भारत से अलग करके एक अलग राष्ट्र की स्थापना करना तथा इस प्रकार के अलगाव के लिए त्रिपुरा के स्थानीय लोगों को भड़काना है।
- (3) भारत सरकार का यह भी मत है कि एनएलएफटी और एटीटीएफ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विध्वंसक और हिंसक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, इस प्रकार इन्होंने सरकार के प्राधिकार को क्षित पहुंचाई है और लोगों में आतंक और हिंसा फैलाई है; पूर्वोत्तर के अन्य विधिविरुद्ध संगमों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हुए हैं; हाल के पिछले कुछ समय में अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसक और विधिविरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं जो कि भारत की संप्रभुता और अखण्डता के लिए हानिकर हैं।
- (4) भारत सरकार का आगे यह भी मत है कि एनएलएफटी और एटीटीएफ की हिंसक और विधिविरुद्ध गतिविधियों में नागरिकों तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या करना; त्रिपुरा में व्यवसायियों और व्यापारियों सिहत जनता से जबरन धन की वसूली करना, सुरक्षित आश्रय, प्रशिक्षण, हथियारों और गोलाबारूद आदि की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए पड़ोसी देशों में शिविर स्थापित करना और उनका रखरखाव करना शामिल हैं।
- (5) केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि एनएलएफटी और एटीटीएफ की गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखण्डता के लिए हानिकारक हैं तथा वे विधिविरुद्ध संगम हैं।
- (6) केन्द्र सरकार का इससे आगे यह भी मत है कि यदि एनएलएफटी और एटीटीएफ पर तुरंत प्रतिबंध एवं नियंत्रण न लगाया गया, तो ये संगठन अपने अलगाववादी, विध्वंसक और हिंसक गतिविधियों को तेज करने के लिए अपने काडरों को लामबंद कर सकते हैं; भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखण्डता के प्रति वैमनस्य भाव रखने वाली शक्तियों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार कर सकते हैं; नागरिकों की हत्या तथा पुलिस और सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना बनाने के कार्य में संलिप्त हो सकते हैं; अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से अवैध हथियार और गोलाबारूद प्राप्त कर सकते हैं और उसे ला सकते हैं; अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियों के लिए जनता से जबरन धन वसुली तथा बड़ी मात्रा में राशि इकट्री कर सकते हैं।
- (7) इसके परिणामस्वरूप, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके बाद अधिनियम कहा गया है) की धारा 3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने एनएलएफटी और एटीटीएफ को इसके सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों के साथ विधिविरुद्ध संगम घोषित किया।
- (8) केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि एनएलएफटी और एटीटीएफ को इसके सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों के साथ तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 3(3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने यह निदेश दिया है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किए गए किसी भी आदेश के अध्यधीन, शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
- (9) इन परिस्थितियों में तथा अधिनियम की धारा 5 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह न्याय-निर्णय करने के प्रयोजन से कि एनएलएफटी और एटीटीएफ को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं, श्री सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 15 नवम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या का. आ. 5741 (अ) द्वारा यह अधिकरण गठित किया गया। अधिनियम की धारा 4(3) के आधार पर इस अधिकरण से अपेक्षित है कि वह यह न्याय-निर्णय करे कि एनएलएफटी और एटीटीएफ को अधिनियम की धारा 2 (त) के अंतर्गत परिभाषित अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं।
- (10) इस मामले के समर्थन में, केन्द्र सरकार ने इसे अधिकरण में भेजा तथा एनएलएफटी और एटीटीएफ के लक्ष्यों/उद्देश्यों तथा हिंसक गतिविधियों के संबंध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया।
- (11) दिनांक 27 नवम्बर, 2018 को, अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत एनएलएफटी और एटीटीएफ को एक नोटिस जारी करके इस बारे में नोटिस तामील करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर यह कारण बताने के लिए कहा गया कि क्यों न उक्त संगमों को विधिविरुद्ध घोषित किया जाए और क्यों न अधिनियम की धारा 3 (1) के अंतर्गत की गई घोषणा की पृष्टि करते हुए आदेश जारी किया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि नोटिस उसी

तरीके से तामील किया जाएगा जिस तरीके से एनएलएफटी और एटीटीएफ को प्रतिबंधित करने वाली अधिसूचना तामील की गई थी। यह भी निदेश दिया गया कि उपर्युक्त संगमों को निम्नलिखित तरीके से नोटिस जारी किया जाएगा :

- (क) नोटिस की प्रतियां उपर्युक्त संगमों के कार्यालयों, यदि कोई हों, के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर चिपकाई जाएं:
- (ख) दैनिक समाचार पत्रों, एक अंग्रेजी तथा एक उस क्षेत्र, जहां संगठनों के अपने प्रतिष्ठापन या मौजूदगी हो, जैसा कि त्रिपुरा राज्य में और उसके बाहर ज्ञात हो, में परिचालन वाले स्थानीय भाषा के एक प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा उपर्युक्त संगमों को नोटिस भी तामील किया जाए। नोटिस नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) के पदाधिकारियों को उनके पते पर या यदि वे निरूद्धता के अधीन हों, तो संबंधित अधीक्षक (कारागार) के माध्यम से भी तामील किया जाए।
- (ग) उस क्षेत्र, जिसमें संगमों के क्रियाकलाप सामान्यतया चलाए जाते हैं, में नोटिस की विषय-वस्तु के बारे में इम बजाकर या लाउडस्पीकरों के माध्यम से घोषणा की जाए;
- (घ) गृह मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.nic.in) पर प्रकाशित करके;
- (ङ) आकाशवाणी पर घोषणा करके तथा त्रिपुरा राज्य के स्थानीय ब्रॉडकास्टिंग एवं ट्रांसमिशन स्टेशनों से दूरदर्शन पर प्रसारित करके, तथा
- (च) नोटिस को जिला या तहसील, जो भी व्यवहार्य हो, के मुख्यालय में जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाकर भी इसका तामील किया जाना चाहिए।
- (12) दिनांक 27 नवम्बर, 2018 के आदेश के अनुसरण में, श्री जे.के. बत्रा, जिन्हें अधिकरण का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है, ने यह साक्ष्य देने के लिए दिनांक 15 जनवरी, 2019 को अपनी रिपोर्ट दाखिल की कि नोटिस को संगठनों को विभिन्न तरीकों से तामील/प्रकाशित किया गया था। त्रिपुरा राज्य ने भी श्री बैजोयान्ता दास, उप रेजीडेंट आयुक्त, त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली का 21 जनवरी, 2019 का इस आशय का शपथ-पत्र दाखिल किया कि अधिकरण के निदेशों के अनुसार प्रकाशन सहित विभिन्न माध्यमों से संगमों को नोटिस तामील किया गया है। केन्द्र सरकार ने भी श्रीमती नीता गुप्ता, निदेशक, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, भारत सरकार का 21 जनवरी, 2019 का इस आशय का शपथ-पत्र दाखिल किया कि संगमों को अधिकरण द्वारा विहित तरीकों से नोटिस तामील किया गया है।
- (13) नोटिस तामील किए जाने के बावजूद, एनएलएफटी और एटीटीएफ की ओर से अधिकरण की दिनांक 21 जनवरी, 2019 की कार्यवाहियों में उनके समक्ष कोई हाजिर नहीं हुआ, न ही उक्त संगठनों से कोई याचिका, संदेश, उत्तर, पत्र प्राप्त हुआ और अधिकरण ने आगे कार्यवाही करने का निर्णय लिया। केन्द्र सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान एएसजी तथा त्रिपुरा सरकार की ओर से विद्वान वकील के अनुरोध पर, गवाहों के साक्ष्य तथा जिरह, यदि कोई हो, को अगरतला, त्रिपुरा में रिकॉर्ड करने के लिए दिनांक 02 फरवरी, 2019 एवं 03 फरवरी, 2019 की तारीखें निर्धारित की गईं। त्रिपुरा राज्य सरकार को निदेश दिया गया कि वह अधिकरण की बैठक की तारीखों तथा स्थान के बारे में अग्रिम रूप से स्थानीय समाचार पत्रों में एवं मीडिया के माध्यम से सम्यक प्रचार करे। यद्यपि, एनएलएफटी और एटीटीएफ की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और न ही उनका प्रतिनिधित्व हो रहा था किंतु इन संगठनों को यह छूट दी गई थी कि यदि वे ऐसा करना चाहते हों, तो अधिकरण के समक्ष अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं।
- (14) अधिकरण की दिनांक 21 जनवरी, 2019 की कार्यवाहियों के दौरान, त्रिपुरा राज्य ने श्री बैजोयान्ता दास, उप रेजीडेंट आयुक्त, त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली का दिनांक 21.01.2019 का साक्ष्य संबंधी शपथ-पत्र और साथ ही एनएलएफटी और एटीटीएफ को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए मामले के समर्थन में त्रिपुरा के जिलों में पंजीकृत प्राथमिकियों जैसे सहायक दस्तावेज दाखिल किए। केन्द्र सरकार ने अपने मामले को सिद्ध करने के लिए अधिकरण के समक्ष अपना तात्विक शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए कुछ समय की मांग की।

(15) सरकार की ओर से साक्ष्य तथा जिरह, यदि कोई हो, को रिकार्ड करने के लिए अधिकरण की कार्यवाहियां वीआईपी लाउन्ज, स्टेट गेस्ट हाउस, अगरतला, त्रिपुरा में दिनांक 02 फरवरी, 2019 को आयोजित की गईं। त्रिपुरा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि अधिकरण के समक्ष राज्य द्वारा 13 गवाह प्रस्तुत किए जाने थे, जिनमें से 5 गवाह अर्थात् एस डब्ल्यू-1, एस डब्ल्यू-2, एस डब्ल्यू-11, एस डब्ल्यू-12 और एस डब्ल्यू-13 सरकारी अधिकारी/कर्मचारी थे, जबिक 8 गवाह अर्थात् एस डब्ल्यू-3 से लेकर एस डब्ल्यू-10 त्रिपुरा के जिलों में पहले ही दर्ज प्राथमिकियों के पीड़ित/गवाह थे। एस डब्ल्यू-1 से लेकर एस डब्ल्यू-13 के व्यक्तिगत शपथ-पत्र दाखिल किए गए। अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए गवाह निम्नलिखित थे:-

एस डब्ल्यू-1 श्री अभिजीत सप्तर्षि, पुत्र श्री जयकृष्ण सप्तर्षि, पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, त्रिपुरा, अगरतलाः

एसडब्ल्यू-2, श्री अरूप देब, पुत्र स्व. अरूणेन्दु देब, अवर सचिव, गृह विभाग, त्रिपुरा सरकार, अगरतला;

एसडब्ल्यू-3, श्री अलीन्द्र त्रिपुरा, पुत्र श्री फाल्गुनी त्रिपुरा, निवासी मायाकुमार त्रिपुरा, पुलिस थाना-रैश्याबाड़ी, जिला-धलाई, त्रिपुरा, उम्र-27 वर्ष, दिनांक 09.11.2014 के रैश्याबाड़ी पुलिस थाना के मामला सं. 21/2014 के पीड़ित;

एसडब्ल्यू-4, श्री उदयराम रियांग, पुत्र श्री पुष्पराम रियांग, निवासी, न्यू जॉयरामपुर, डाकघर-डालापट्टी, पुलिस थाना-गंडाचेरा, जिला-धलाई, त्रिपुरा, उम्र 33 वर्ष, दिनांक 10.08.2014 के गंडाचेरा, पुलिस थाना के मामला सं. 25/2014 के पीड़ित;

एसडब्ल्यू-5, श्री बरेन्द्र त्रिपुरा, पुत्र श्री कुंग कुमार त्रिपुरा, उम्र 34 वर्ष, निवासी गिराचन्द्र पाड़ा, डाकघर-डालापट्टी, पुलिस थाना-गंडाचेरा, जिला-धलाई, त्रिपुरा, दिनांक 01.10.2014 के गंडाचेरा पुलिस थाना के मामला सं. 34/2014 के पीड़ितों में से एक;

एसडब्ल्यू-6, श्री कालाराम रियांग, पुत्र स्व. लाबा चन्द्र रियांग, उम्र-69 वर्ष, निवासी-नूतनपाड़ा (मायपाड़ा), सैघरपुर, पुलिस थाना-आनन्दबाजार, जिला-उत्तरी त्रिपुरा, आनन्द बाजार पुलिस थाना के मामला सं. 03/2014 के पीड़ित;

एसडब्ल्यू-7, श्री तांगलिंग बासी मलसूम, पुत्र स्व. कृष्ण चन्द्र मलसूम, उम्र-28 वर्ष, निवासी-डाकबाड़ी, पुलिस थाना- किल्ला, जिला-गोमती त्रिपुरा, किल्ला पुलिस थाना क्षेत्र के निवासी;

एसडब्ल्यू-8, श्री अपिजॉय त्रिपुरा, पुत्र श्री करमजॉय त्रिपुरा, उम्र-34 वर्ष, निवासी-मंदनजॉय पाड़ा, डाकघर-रैश्याबाड़ी, जिला-धलाई त्रिपुरा, रैश्याबाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के निवासी;

एसडब्ल्यू-9, श्री चन्द्र कुमार देबबर्मा, पुत्र श्री राधाचरण देबबर्मा, उम्र-64 वर्ष, निवासी-अमरेन्द्र नगर, पुलिस थाना-बिश्रामगंज, जिला-सिपाहीजाला त्रिपुरा, बिश्रामगंज पुलिस थाने के शिकायतकर्ता;

एसडब्ल्यू-10, श्री जितेन चकमा, पुत्र श्री सुरेन्द्र चकमा, उम्र-32 वर्ष, निवासी-शांतिनगर, पुलिस थाना-पीचारथाल, जिला-उनाकोटी त्रिपुरा, वांगमुम थाने के पीड़ित;

एसडब्ल्यू-11, श्री बिदेश्वर सिन्हा/सिंघा, पुत्र श्री नविकशोर सिन्हा, पुलिस थाना- कल्याणपुर के उप निरीक्षक, जिला-खोवाई, त्रिपुरा;

एसडब्ल्यू-12, श्री गौतम देबबर्मा, उप निरीक्षक/प्रभारी अधिकारी अभयनगर टीओपी, पुलिस थाना-न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स, वेस्ट त्रिपुरा, अगरतला; तथा

एसडब्ल्यू-13, श्री उमाचरण त्रिपुरा, उप पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना- धूमचारा तथा प्राथमिकी दर्ज कराने के समय ये पुलिस थाना- तेलियामूरा, वेस्ट त्रिपुरा में तैनात थे।

(16) अपने बयान में एसडब्ल्यू-1 श्री अभिजीत सप्तर्षि ने पूर्व एसडब्ल्यू-1/ए के रूप में निर्दिष्ट साक्ष्य में अपना दिनांक 01.02.2019 का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया तथा उनके हस्ताक्षरों को बिन्दु 'ए' एवं 'बी' पर निर्दिष्ट किया गया है। एसडब्ल्यू-1 ने यह भी बयान दिया कि त्रिपुरा सरकार के डिप्टी रेजीडेंट किमश्नर, श्री बैजयंत दास के दिनांक 21.01.2019 के शपथ-पत्र के साथ लगे 515 पृष्ठों के दस्तावेजों, जिन्हें पहले ही त्रिपुरा राज्य द्वारा दायर किया जा चुका है, को उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का हिस्सा माना जाए। एसडब्ल्यू-1 ने

श्री बिजयंत दास, डिप्टी रेजीडेंट किमश्नर, त्रिपुरा सरकार के प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/ए के रूप में निर्दिष्ट दिनांक 21.01.2019 के शपथ-पत्र को सत्यापित किया। एसडब्ल्यू-1 ने अपने शपथ-पत्र में यह कहा है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997 में पहली बार लागू किया गया था तथा लगातार अलगाववादी और हिंसक गतिविधियों के चलते इन संगठनों पर आज तक लगातार प्रतिबंध लगा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि एनएलएफटी तथा एटीटीएफ अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य के रूप में लगातार त्रिपुरा को भारत संघ से अलग करने का समर्थन करते हैं; तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे लगातार अलगाववादी, विध्वसंक, हिंसक एवं आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं; और ये संगठन गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस समारोहों जैसे राष्ट्रीय पर्वों का बहिष्कार करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एनएलएफटी और एटीटीएफ के संविधान में, इनके उद्देश्य के रूप में, भारत संघ से पृथक होने का उल्लेख है। एनएलएफटी तथा एटीटीएफ द्वारा परिचालित संविधानों की प्रतियों को प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/1 तथा प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/2 के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

एसडब्ल्यू-1 ने अपने शपथ-पत्र में यह स्पष्ट किया कि एटीटीएफ तथा एनएलएफटी ने एक सिविलियन ढांचे की संकल्पना के साथ एक ''सेपरेट पीपल्स रिपब्लिक गवर्नमेंट" की व्यवस्था देते हुए एक पृथक संविधान अंगीकर किया है और वे नियमित सेना के पैटर्न पर एक पदानुक्रम के साथ पृथक सशस्त्र विंग रखते हैं। एनएलएफटी तथा एटीटीएफ जन संहारक अत्याधुनिक हथियारों सिहत बड़ी संख्या में प्राणघातक हथियारों से लैस रहते हैं। एनएलएफटी के पदाधिकारियों की सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/3 के रूप में प्रदर्शित की गई थी।

एसडब्ल्यू-1 ने अपने शपथ-पत्र में यह कहा है कि एनएलएफटी तथा एटीटीएफ भारत संघ से त्रिपुरा को आजाद करके 'बोरोकलैंड, त्रिपुरा' की स्थापना के अपने घोषित लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से पुलिस और अर्ध सैनिक बलों पर आक्रमण, हथियार और गोलाबारूद की लूट, सिविलियनों के विरुद्ध हिंसा, अपहरण एवं जबरन धन वसूली तथा गैर कानूनी तरीकों से हथियार और गोलाबारूद प्राप्त करने की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं तथा शांति और सद्भावना को बिगाड़ने, भारत के संविधान तथा इसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों को ध्वस्त करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं।

एसडब्ल्यू-1 ने यह उल्लेख किया कि आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों की पूछताछ रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि बिस्वमोहन देबबर्मा उर्फ डी. बैथांग उर्फ पायठक, पुत्र बृज किशोर देबबर्मा, निवासी सुमन्तापाड़ा, पुलिस थाना-चम्पाहोवर, खोवाई जिला, जो एनएलएफटी का स्वयंभू प्रेसीडेंट है, का स्तरोन्नयन करके उसे अब सलाहकार के पद पर तैनात किया गया था। इस उग्रवादी गुट के सेकंड-इन-कमाण्ड नामत: सुबीर देबबर्मा उर्फ डी. यामरक, पुत्र श्री कमल देबबर्मा, निवासी बरगछिया, पुलिस थाना-सिधाई, पश्चिमी जिला को तरक्की देकर एस एस प्रेसीडेंट बनाया गया था (एनएलएफटी के पदाधिकारियों के ब्यौरे में इन दोनों नामों का उल्लेख क्रमांक 1 और 2 पर किया गया है तथा इन्हें पहले ही प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/3 के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) और ये लोग बांग्लादेश तथा म्यांमार में घूमते-फिरते देखे गए थे।

एसडब्ल्यू-1 ने यह भी उल्लेख किया कि आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों के बयानों से एनएलएफटी द्वारा विदेशी एजेंसियों के साथ-साथ पूर्वोत्तर के अन्य उग्रवादी गुटों जैसे कि एनएससीएन (के), उल्फा, यूएनएलएफ, पीआरईपीएके, आरपीएफ तथा केएलओ की सहायता से हथियारों का संग्रह करने के बारे में पता चला और इस गुट के सदस्य जान-बूझकर सीधे-सादे जनजातीय युवाओं को झूठे वायदे देकर भर्ती करते हैं और अपने तथा-कथित सशस्त्र संघर्ष को तेज करने के इरादे से इन्हें गुरिल्ला ट्रेनिंग देने के लिए बांग्लादेश ले जाते हैं।

एसडब्ल्यू-1 ने अपने शपथ-पत्र में विशेष रूप से यह उल्लेख किया है कि रंजीत देवबर्मा उर्फ अंशुमन मांडी उर्फ बिनय त्रिपुरा नामक व्यक्ति, जो एटीटीएफ/टीपीडीएफ/आरपीए का स्वयंभू प्रेसीडेंट है, को सिधाई पुलिस थाने की पुलिस द्वारा दिनांक 23.01.2013 को बांग्लादेश से भारतीय भू भाग में घुसते समय गिरफ्तार किया गया था तथा उसे दिनांक 01.11.2014 तक न्यायिक हिरासत में रखा गया था। दिनांक 11.11.2017 को उसे त्रिपुरा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 82 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 10, 13 और 18 के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 123 (क)/153 (क) (ख)/120 (ख) के तहत तेलियामूरा पुलिस थाने के दिनांक 09.11.2017 के मामला सं. 83/2017 में उनकी संलिप्तता के लिए पुन: गिरफ्तार कर लिया गया था। रंजीत देवबर्मा की पूछताछ रिपोर्ट को प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/7 के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

एसएब्ल्यू-1 ने जमना देबबर्मा उर्फ जमुना ऊर्फ रेबिका देबबर्मा उर्फ रेबिका जमातिया पत्नी स्व. पुष्पराम जमातिया उर्फ नोकबार, जो एटीटीएफ की एसएस सर्जेंट हैं तथा जिसने गृह विभाग के दिनांक 21.09.2016 के पत्र सं. 2351 के तहत दिनांक 01.10.2016 की सूचित एस.बी. से मंडाई पुलिस थाना की दिनांक 07.12.2013 की जीडी प्रविष्टि सं. 150 के अनुसार त्रिपुरा राइफल्स की 35वीं बटालियन के समक्ष दिनांक 07.12.2013 को आत्मसमर्पण किया था, के संबंध में एक

पूछताछ रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। उक्त पूछताछ रिपोर्ट की प्रित को प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/6 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। पूछताछ रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि एटीटीएफ के काडरों की संख्या लगभग 10/15 थी और इन सभी ने बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में शरण ले रखी थी। एटीटीएफ के पास अभी भी बड़ी संख्या में हथियार थे और पूर्वोत्तर के विभिन्न विद्रोही गुटों जैसे कि त्रिपुरा के उल्फा, मणिपुर के पीएलए और नागालैंड के एनएससीएन (के) तथा पश्चिम बंगाल के के.एल.ओ. के साथ इनके मजबूत संबंध थे।

एसएब्ल्यू-1 ने अपने शपथ-पत्र में आगे विशेष उल्लेख किया था कि एनएलएफटी और एटीटीएफ त्रिपुरा के लोगों के लिए 'त्विप्रा' नामक एक पृथक राज्य बनाने हेतु जनजातीय समुदाय को दुष्प्रेरित करने की कोशिश कर रहे थे। एनएलएफटी के पास लड़ाकू काडरों की नफरी 85 से 90 के आसपास थी तथा उनके पास 80 के आसपास अत्याधुनिक हथियार जैसे कि एके राइफल्स, एसएलआर, इंसास, एलएमजी, 2 इंच मोर्टार, राकेट लांचर आदि और भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ थे। यद्यपि, एनएलएफटी और एटीटीएफ बांग्लादेश में निक्रिष्य रहते थे, लेकिन किसी उपयुक्त समय पर ये भारत में सक्रिय हो सकते थे। एनएलएफटी के आग्नेयास्त्रों की क्षमता से संबंधित सत्यापित प्रतियां प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/4 के रूप में प्रदर्शित की गई थीं। बांग्लादेश में स्थित उग्रवादी शिविरों की सुची की सत्यापित प्रति को प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/5 के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

एसडब्ल्यू-1 ने अपने शपथ-पत्र में यह उद्धृत किया था कि दिनांक 03.10.2013 से फरवरी, 2018 की अवधि के दौरान एनएलएफटी उग्रवादियों की संलिप्तता को लेकर त्रिपुरा के भिन्न-भिन्न पुलिस थानों में उग्रवादियों से संबंधित कुल 12 मामले पंजीकृत किए गए थे, जिनमें 2 बीएसएफ कार्मिक मारे गए थे, एक सिविलियन को चोटें आयी थीं तथा 07 सिविलियनों को फिरौती के लिए अपहृत किया गया था। संख्या संबंधी विवरण की प्रति प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/8 के रूप में प्रदर्शित की गई थी। पीड़ितों की सूची की एक प्रति प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/9 के रूप में प्रदर्शित की गई थी।

एसडब्ल्यू-1 ने आत्मसमर्पण कर चुके एलएफएफटी के स्वयं-भू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ अर्थात् अतहरबाबू हलम उर्फ बाबू उर्फ सेमिफा उर्फ बुलडॉग-1, जिसने दिनांक 09.05.2015 को पुलिस मुख्यालय, अगरतला में डीजीपी, त्रिपुरा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, के साथ की गई पूछताछ की रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की, जिसे प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/10 के रूप में प्रदर्शित किया गया था तथा एनएलएफटी के आत्मसमर्पण कर चुके एसएस-सीओएएस अर्थात् पासाराम त्रिपुरा उर्फ टी. थॉमस उर्फ वाथूप, जिसने डीजीपी, त्रिपुरा के समक्ष दिनांक 10.01.2014 को आत्मसपर्मण किया था, के साथ की गई पूछताछ की रिपोर्ट की प्रति प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/11 के रूप में प्रदर्शित की गई थी। प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/10 से यह खुलासा हुआ था कि आत्मसमर्पण कर चुका उग्रवादी निर्दोष लोगों के अपहरण, जबरन धन उगाही आदि की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था। प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/11 से एनएलएफटी के उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के बारे में भी खुलासा हुआ था।

एसडब्ल्यू-1 ने अपने शपथ-पत्र में यह उल्लेख किया कि सीमावर्ती आबादी विशेषतया धलाई जिले के अंतर्गत आने वाली आबादी को लगातार एनएफएफटी उग्रवादी समूह से खतरा बना रहता है क्योंकि अनेक अवसरों पर ग्रामवासियों को तथाकथित टैक्स के भुगतान के लिए जबरन धन वसूली के नोटिस मिलते रहते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों की 09 पंचायतों/अध्यक्षों के नाम जारी किए गए नोटिसों की प्रतियों के साथ-साथ जबरन धन वसूली के नोटिसों की प्रतियां प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/12 (कॉली) के रूप में प्रदर्शित की गई थीं।

एसडब्ल्यू-1 ने अपने शपथ-पत्र में यह खुलासा किया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे कि एसआईबी, अगरतला, राज्य एसबी-त्रिपुरा, बीएसएफ दिल्ली, रॉ आदि द्वारा मृजित खुफिया जानकारियों से त्रिपुरा के अन्दरूनी हिस्सों में एनएलएफटी तथा एटीटीएफ की गतिविधि और आसूचना ब्यूरो कार्यालय के एकदम नजदीक उनकी लगातार सीमा पार आवाजाही के संकेत मिले थे। खुफिया जानकारियों की प्रतियां प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/13 (कॉली) और प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/14 (कॉली) के रूप में प्रदर्शित की गई थीं।

एसडब्ल्यू-1 ने पूर्वोत्तर राज्यों के 5 विद्रोही गुटों अर्थात् एचएनएलसी ऑफ मेघालय, केसीपी एंड केवॉयकेएल ऑफ मणिपुर, पीडीसीके ऑफ त्रिपुरा तथा एनएलएफटी ऑफ त्रिपुरा के स्वयं-भू लीडरों के वेस्ट-ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर प्रतिबंध की घोषणा करते हुए दिनांक 26.01.2018 को प्रात: 6 बजे से शाम 5 बजे तक 11 घंटे के लिए संपूर्ण क्षेत्र में संपूर्ण बंद का आह्वान करने संबंधी दिनांक 24.01.2018 का एक संयुक्त वक्तव्य प्रस्तुत किया था, जिसे प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/15 के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

एसडब्ल्यू-1 ने आगे यह उल्लेख किया कि एनएलएफटी त्रिपुरा को भारत संघ के साथ मिलाए जाने के विरोध में प्रतिवर्ष 15 अक्तूबर को काला दिवस मनाता है। त्रिपुरा विलय दिवस को काले दिवस के रूप में मनाए जाने संबंधी प्रतिलिपि को प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/16 के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

एसडब्ल्यू-1 ने अपने शपथ-पत्र में आगे यह खुलासा किया कि वर्ष 2017 में अपने गुट को पुनर्जीवित करने की कोशिश में एनएलएफटी (बीएम) के सदस्यों द्वारा चाऊमनू तथा मानिकपुर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत 18 जनजातीय युवकों को इस गुट में शामिल होने का लालच दिया गया था तथा इन्हें बांग्लादेश के अंदरूनी भाग में स्थित शिविरों में ले जाया गया था, जिनमें से 14 युवक अपने घर वापस चले आए थे लेकिन बाकी 04 युवक वापस नहीं आए थे, जिससे युवाओं और पैसे के बल पर गुट को पुन: ताकतवर बनाने की एनएलएफटी की योजना का संकेत मिलता है। चाऊमनू पुलिस थाना क्षेत्र से बांग्लादेश ले जाए गए 18 युवकों के ब्यौरे की प्रति को प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/17 के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

एसडब्ल्यू-1 ने सिक्रिय एटीटीएफ लीडरों की एक प्रति प्रस्तुत की, जिसे प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/18 के रूप में चिह्नित किया गया है। अपने शपथ-पत्र में, उन्होंने एटीटीएफ द्वारा भारी संख्या में अत्याधुनिक हथियार एवं गोलाबारूद रखे जाने के बारे में बताया था और उल्लेख किया था कि इसे बांग्लादेश में सतचेरी और खगड़ाचेरी के जंगली इलाकों में छिपाकर रखा गया था। एसडब्ल्यू-1 ने आगे उद्धृत किया था कि एटीटीएफ अभी भी बांग्लादेश स्थित ढाका में सुरक्षित ठिकाना बनाए हुए है और इनके काडर की नफरी 15 से 20 के आसपास है।

एसडब्ल्यू-1 ने उल्लेख किया कि एनएलएफटी और एटीटीएफ की विधिविरुद्ध गतिविधियां राज्य, विशेषकर जनजातीय लोगों की आबादी वाले अंदरूनी क्षेत्रों में विकास के कार्यों में बाधा डालने और आतंक तथा भय का वातावरण पैदा करने; शांति प्रिय लोगों का शोषण करने के साथ-साथ राष्ट्र-विरोधी और विधिविरुद्ध गतिविधियों को अंजाम देने हेतु विद्रोही गुटों को सुविधाजनक स्थिति में रखने के लिए अपनी मौजूदगी दर्शाने के लिए उनके मन में असुरक्षा का भाव पैदा करने; विध्वसंक कार्रवाइयों को अंजाम देने हेतु धन की उगाही के लिए निर्दोष व्यक्तियों की हत्या, अपहरण/व्यपहरण करने; हथियार तथा गोलाबारूद लूटने के लिए सुरक्षा कार्मिकों की हत्या करने की हताशा भरी कोशिशें हैं। आसूचना रिपोर्ट की प्रति को प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/19 के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

एस डब्ल्यू-1 ने अपने शपथ-पत्र में, दिनांक 03.10.2013 से अब तक एनएलएफटी और एटीटीएफ द्वारा की गई कुछ आपराधिक गतिविधियों तथा राज्य के पुलिस थानों में इनके संबंध में दर्ज किए मामलों का निम्नानुसार वर्णन किया है :

- क. दिनांक 09.11.2014 को लगभग 1930 बजे, एनएलएफटी के 8-9 अज्ञात शस्त्रधारी उग्रवादियों ने शिकायतकर्ता श्री फाल्गुनी त्रिपुरा के धलाई जिले के मान्याकुमार पुलिस थाने में स्थित घर पर हमला कर दिया और उनके पुत्र अलेन्द्र त्रिपुरा (22) तथा उनके रिश्तेदार गुणाधर त्रिपुरा (18) को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया तथा वे बांग्लादेश की सीमा की ओर भाग गए। तदनुसार, रेश्याबाड़ी पुलिस थाने में दिनांक 09.11.2014 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148/149/365/34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 एवं अधिनियम की धारा 10/13 के तहत मामला संख्या 21/14 दर्ज किया गया था तथा इस मामले की जांच अभी भी चल रही है। एफ आई आर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/20 के रूप में प्रदर्शित की गई है।
- ख. दिनांक 09.08.2014 को लगभग 2300 बजे, एनएलएफटी के 6-7 सशस्त्र उग्रवादियों ने आपराधिक षडयंत्र रचकर धलाई जिले के गंडाचेरा पुलिस थाने के तहत आने वाले न्यू जोयराम में उदयराम रियांग (29) तथा जुरीहाम रियांग (26) नामक पीड़ित के घर पर हमला कर दिया और बंदूक की नोक पर पीड़ितों को अगवा कर लिया तथा उन्हें फिरौती के तौर पर पिछले चार वर्षों के तथाकथित कर के बकाया का भुगतान करने का नोटिस थमा दिया। तदनुसार, गंडाचेरा पुलिस थाने में दिनांक 10.08.2014 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (ख)/364 (क), शस्त्र अधिनियम की धारा 27 एवं अधिनियम की धारा 10/13 के तहत मामला संख्या 25/14 दर्ज किया गया था। मामले की जांच अभी चल रही है। एफ आई आर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/21 के रूप में प्रदर्शित की गई है।
- ग. दिनांक 30.09.2014 एवं 01.10.2014 की मध्य रात्रि को एनएलएफटी के 3-4 अज्ञात सशस्त्र उग्रवादी धलाई जिले के गंडाचेरा पुलिस थाने में गिराचंद्र के बरेन्द्र त्रिपुरा के झूम हट में घुस गए और उनसे किसी एक विशेष स्थान पर जाने का रास्ता पूछा। बरेन्द्र त्रिपुरा (30) और उसके छोटे भाई हरेन्द्र त्रिपुरा (25) उन अज्ञात उग्रवादियों के साथ उन्हें रास्ता बताने के लिए चल पड़े किंतु वे तत्काल वापस नहीं लौटे। बरेन्द्र त्रिपुरा दिनांक 09.10.20.14 को और हरेन्द्र त्रिपुरा दिनांक 27.11.2014 को वापस लौटे क्योंकि उन दोनों का एनएलएफटी उग्रवादियों द्वारा फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया था। तदनुसार, गंडाचेरा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (क), शस्त्र अधिनियम की धारा 27 एवं अधिनियम की धारा 10/13 के तहत दिनांक 01.10.2014 को मामला संख्या 34/14 दर्ज किया गया था। मामले की जांच अभी चल रही है। एफ आई आर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/22 के रूप में प्रदर्शित की गई है।

- घ. दिनांक 29.08.2015 को 12.30 बजे, मालदा कुमार पुलिस थाना, गंगानगर के दुंजोय त्रिपुरा (35), संतीजोय, त्रिपुरा (25) तथा मंजोय त्रिपुरा (30) नामक एनएलएफटी के काडर, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है, पिलर संख्या 2278 एवं 2279 के बीच धलाई जिले के गंगानगर पुलिस थाने के तहत आने वाले मालदा कुमार में एक पुलिया के जिए भारत-बांग्लादेश सीमा को पार करने के उपरांत बांग्लादेश के भीतर रेजा (मयानी) चले गए। शाम को एक अभियुक्त व्यक्ति बांग्लादेश से लौटा और उसने एनएलएफटी समूह के छपे हुए 03 डिमांड नोटिस ग्रामीणों को वितरित किए। तदनुसार, गंगानगर पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 (ख), पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 तथा अधिनियम की धारा 13 के तहत दिनांक 31.08.2015 को मामला संख्या 03/15 दर्ज किया गया था। अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया गया था। एफआईआर की प्रति एस डब्ल्यू-1/23 के रूप में प्रदर्शित की गई है।
- ह. दिनांक 01.08.2014 को लगभग 1430 बजे, एक गुप्त सूचना के आधार पर, शिकायतकर्ता श्री संजोय नायर, लेफ्टिनेंट कर्नल, 166 टेरिटोरियल आर्मी ने पश्चिमी त्रिपुरा जिले के तहत मेहर कालीबाड़ी, अगरतला के समीप प्रगति रोड पर किराए के एक घर में खोज की तथा 5000 रुपए की नकदी के साथ एनएलएफटी के तथाकथित कर संग्रहण संबंधी रसीदों के दो बंडल बरामद किए और एनएलएफटी के दो संदिग्ध काडरों इंद्र जोय रियांग, पुत्र श्री राम प्रसाद रियांग, निवासी राम बहादुर, पुलिस थाना कंचनपुर, उत्तरी त्रिपुरा तथा श्री ज्योतिष देबबर्मा, पुत्र स्व. सुबोध देबबर्मा, निवासी उत्तर घिलाताली, पुलिस थाना कल्याणपुर को निरुद्ध किया। तदनुसार, पश्चिमी अगरतला पुलिस थाना में भा.दं.सं. की धारा 384 तथा अधिनियम की धारा 1(3) के तहत दिनांक 01.08.2014 को मामला संख्या 133/14 दर्ज किया गया था। एफ आईआर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-
- च. दिनांक 19.09.2015 को पश्चिमी अगरतला पुलिस थाने के उप निरीक्षक बिंदेश्वर सिन्हा ने भा.दं.सं. की धारा 121/124 (क)/386/120 (ख) तथा अधिनियम की धारा 10/13 एवं आईपीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत किए गए अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (1) के तहत प्राथमिक जांच करने के पश्चात एनएलएफटी के 07 काडरों नामत: श्री चन्द्रशेखर देबबर्मा तथा अन्य लोगों के खिलाफ स्वत: शिकायत दर्ज की। तदनुसार, पश्चिमी अगरतला पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 121/124 (क)/386/120 (ख) तथा अधिनियम की धारा 10/13 एवं भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 के तहत दिनांक 19/09/2015 को मामला संख्या 2015 डब्ल्यूएजी 136 दर्ज किया गया था। इस मामले में दिनांक 27.06.2016 को आरोप पत्र दायर कर दिया गया था। एफ आईआर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/25 के रूप में प्रदर्शित की गई है।
- छ. दिनांक 02.03.2014 को 1900 से 2000 बजे के बीच शिकायतकर्ता अपने पित श्री कालाराम रियांग तथा तीन बेटियों के साथ उत्तरी त्रिपुरा जिले के आनन्दबाजार पुलिस थाने के तहत आने वाली सैघरपुर से जोयमोनी सीमा जांच चौकी तक जाने वाली सीमावर्ती लिंक रोड के समीप नूतनपाड़ा (मयपाड़ा) स्थित अपने घर में सो रही थी। गहरे हरे रंग की वेशभूषा धारण किए हुए एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके पित को बंदूक की नोक पर अपने साथ चलने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने उन दोनों उग्रवादियों की पहचान सैघरपुर गांव के श्री देबसिघराई रियांग तथा श्री माजेराम रियांग के रूप में की। उग्रवादी उसके पित को सैघरपुर गांव के जिरए बांग्लादेश ले गए। तदनुसार, आनन्द बाजार पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 (ख)/365 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (।।) के तहत दिनांक 4/3/2014 को मामला संख्या 3/14 दर्ज किया गया था। एम एनएलएफटी के 4 काडरों के खिलाफ दिनांक 10.06.2014 को आरोप पत्र दायर कर दिया गया था। एफ आईआर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/26 के रूप में प्रदर्शित की गई है।
- ज. दिनांक 07.11.2014 को, 'कोस्टल कंस्ट्रक्शन कंपनी' नामक सीमा सड़क निर्माण एजेंसी का वाटर टैंकर संख्या टीआर-01-के/1706, जिसे बीएसएफ की सुरक्षा प्राप्त थी, पानी लेने गया तथा पानी लेने के उपरांत जैसे ही टैंकर का चालक उत्तरी त्रिपुरा जिले के वांगमुम पुलिस थाने के तहत आने वाले खांतलांग तथा पुष्पारमपाड़ा के बीच स्थित पी ओ पहुंचा, तो एनएलएफटी के 4-5 उग्रवादियों ने अत्याधुनिक हथियारों से अचानक गोलीबारी करते हुए वाहन पर हमला कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, चालक जितेन चकमा तथा गार्ड हवलदार आदिल अब्बास को गोली लगी और टैंकर भारत-बांग्लादेश सीमा पर लगी बाड़ से जा टकराया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तदनुसार, वांगमुम पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148/149/120 (ख)/326/307/302 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दिनांक 17.11.2014 को मामला संख्या 2014/वीजीएम/007 दर्ज किया गया था। चूंकि जांच के दौरान, इस अपराध में शामिल एनएलएफटी के काडरों

की पहचान नहीं हो पाई, अत: अंतिम रिपोर्ट में मामला खत्म हो गया। एफआईआर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/27 के रूप में प्रदर्शित की गई है।

- झ. दिनांक 08.11.2016 को लगभग 0830 बजे, तांगलिंग बाशी मलसूम शिकायतकर्ता दांगा बहादुर मलसूम के घर में घुस गया तथा उसे एनएलएफटी समूह के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर्स के डिप्टी कलेक्टर एमजी.डी. बसकांग द्वारा जारी एनएलएफटी के नोटिस पर एनएलएफटी के कुछ जबरन धन वसूली संबंधी नोटिस थमा दिए तथा उसे तथाकथित वार्षिक 'सब्सक्रिप्शन' का भुगतान करने का निर्देश दिया। तांगलिंग बाशी मलसूम को दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दकबारी में दिनांक 07.11.2016 को 1830 बजे जबरन धन वसूली संबंधी नोटिस थमाए गए थे तथा उसे यह निर्देश भी दिए गए थे कि वह शिकायतकर्ता तथा पंचायत के 16 अन्य सदस्यों एवं किला आरडी ब्लॉक के अभियंताओं को भी ये नोटिस दे। तदनुसार, किला पुलिस थाना में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384/511/120(ख) के तहत दिनांक 07.11.2016 को मामला संख्या 16/2016 (केएलए 016) दर्ज किया गया था। एफआईआर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/28 के रूप में प्रदर्शित की गई है।
- ञ. दिनांक 19.11.2016 को लगभग 0600 बजे, पुलिस थाना रेश्याबाड़ी के किसी अपिजोय त्रिपुरा को जबरन धन वसूली के लिए अज्ञात एनएलएफटी उग्रवादियों की ओर से उसके घर के सामने मिले एक बंडल में जबरन धन वसूली संबंधी नोटिस प्राप्त हुए। ये नोटिस रेश्याबाड़ी क्षेत्र के 7 ग्राम प्रधानों के नाम थे। तदनुसार, रेश्याबाड़ी पुलिस थाने में दिनांक 22.11.2016 को भा.दं.सं. की धारा 385 के तहत मामला संख्या 14/2016 (आरएसबी 014) दर्ज किया गया था। एफआईआर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/29 के रूप में प्रदर्शित की गई है।
- ट. दिनांक 09.04.2017 की सुबह, पुलिस थाना बिश्रामगंज के शिकायतकर्ता श्री चन्द्र कुमारदेव वर्मा को अमरेन्द्रनगर से लिफाफे में अपने नाम पर एक जबरन धन वसूली संबंधी पत्र प्राप्त हुआ। यह तथाकथित 'लेटर ऑफ सब्सक्रिप्शन नोटिस' अंग्रेजी में था तथा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्विप्रा के पैड पर छपा था तथा इस पर डिप्टी कलेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर्स, एमजी.डी. बसकांग (एनएलएफटी) द्वारा दिनांक 08.04.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे तथा इसमें उसे 10 लाख रुपए के तथाकथित 'सब्सक्रिप्शन' का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। शिकायतकर्ता को यह पता चला कि पुलिस थाना बिश्रामगंज के 5 अन्य व्यक्तियों को भी ऐसे ही नोटिस प्राप्त हुए थे। तदनुसार, बिश्रामगंज पुलिस थाने में दिनांक 09.04.2017 को भा.द.सं. की धारा 385 के तहत मामला संख्या 12/2017 (बीआरएल 012) दर्ज किया गया था। एफआईआर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्य-1/30 के रूप में प्रदर्शित की गई है।
- ठ. दिनांक 29.09.2017 को, रेश्याबाड़ी पुलिस थाने के तहत आने वाले बोलखली एडीसी गांव के निवासी मदनजोय रोआजा, पुष्पधन रोआजा, हरचंद्र रोआजा तथा तरणी रोआजा को तथाकथित 'सब्सक्रिप्शन नोटिस' प्राप्त हुए थे। तदनुसार, रेश्याबाड़ी पुलिस थाने में दिनांक 04.10.2017 को भा.दं.सं. की धारा 385/120(ख)/153 के तहत मामला संख्या 2017 आरएसबी 018 दर्ज किया गया था। मामले की जांच चल रही है। एफआईआर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यु-1/31 के रूप में प्रदर्शित की गई है।
- ड. दिनांक 07.11.2017 की दोपहर को, एटीटीएफ के एस.एस. चीफ रंजीत देबबर्मा ने खोवाई जिले में तेलियामूरा पुलिस थाने के तहत आने वाली दसकी मार्केट में भड़काऊ एवं देशद्रोही भाषण देते हुए पुन: शस्त्र उठाने की धमकी दी। तदनुसार, तेलियामूरा पुलिस थाने में दिनांक 09.11.2017 को अधिनियम की धारा 10/13/18 के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 124(क)/153(क)(ख)/120 (ख) एवं त्रिपुरा पुलिस अधिनियम की धारा 82 के तहत मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/32 के रूप में प्रदर्शित की गई है। इस मामले में रंजीत देबबर्मा तथा उसके सहयोगियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर कर दिए गए थे। एक पिछले मामले के संबंध में, एटीटीएफ चीफ रंजीत देबबर्मा और उसके 62 काडरों के खिलाफ भी गैर-कानूनी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 (क/153(ख)/120(ख)/121(क)/122 तथा अधिनियम की धारा 10/13 के अंतर्गत पुलिस थाना पूर्वी अगरतला में मामला संख्या 38/1998 में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है।

एस डब्ल्यू-1 ने अपने शपथ-पत्र में स्वीकार किया है कि वर्ष 1989 में एनएलएफटी तथा वर्ष 1992 में एटीटीएफ के गठन के बाद से, वे अपने अंतिम उद्देश्य अर्थात् भारतीय संघ से त्रिपुरा की तथाकथित मुक्ति हासिल करने के इरादे से लगातार हिंसक तथा गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार थे और ये गतिविधियां, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा संरक्षा के लिए हानिकारक थीं।

- (17) अपने बयान में, एस डब्ल्यू-2 श्री अरूप देब, अवर सचिव, गृह विभाग, त्रिपुरा सरकार ने अपना दिनांक 01.02.2019 का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रदर्श एसडब्ल्यू-2/ए के रूप में चिह्नित है तथा हस्ताक्षर बिंदु 'क' एवं 'ख' पर चिह्नित किया गया है। एसडब्ल्यू-1 ने अपने शपथ-पत्र में, इस ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के संदर्भ में व्यापक प्रचार और एनएलएफटी और एटीटीएफ को नोटिस तामील किए जाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में घोषणा की। उन्होंने 6 दस्तावेज पेश किए। ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 27.11.2018 को जारी नोटिस के बारे में त्रिपुरा के विभिन्न जिलों में पोस्टर चिपका कर तथा इम बजाकर/लाउड स्पीकरों द्वारा किए गए व्यापक प्रचार को दर्शाने वाला दस्तावेज प्रदर्श एसडब्ल्यू-2/1 (कॉली) चिह्नित किया गया है। 4 स्थानीय समाचार-पत्रों 'त्रिपुरा टाइम्स', 'दैनिक संबाद', 'डेली देशर कथा' तथा 'स्यंदन पत्रिका' में नोटिस के व्यापक प्रचार को दर्शाने वाला दस्तावेज प्रदर्श एस डब्ल्यू-2/2 (कॉली) के रूप में चिह्नित किया गया है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन अगरतला के माध्यम से नोटिस के व्यापक प्रचार को दर्शाने वाला दस्तावेज प्रदर्श एस डब्ल्यू-2/3 के रूप में चिह्नित है। राज्य के पुलिस प्रशासन के माध्यम से नोटिस के व्यापक प्रचार को दर्शाने वाला दस्तावेज प्रदर्श एस डब्ल्यू-2/5 के रूप में चिह्नित है। स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र 'दैनिक समबाद' आदि में राज्य सरकार की प्रेस विज्ञित इत्यादि के माध्यम से नोटिस के व्यापक प्रचार को दर्शाने वाला दस्तावेज प्रदर्श एस डब्ल्यू-2/6 (कॉली) के रूप में चिह्नित किया गया है।
- (18) चूंकि 8 पीड़ितों/गवाहों, एसडब्ल्यू-3 से एसडब्ल्यू-10 को अंग्रेजी या हिदी भाषा का ज्ञान नहीं था, इसलिए, त्रिपुरा राज्य के वकील के अनुरोध पर, सुश्री एमिलिया रियांग, उप निदेशक (लेखा), वित्त विभाग, त्रिपुरा सरकार, जो कि ट्रिब्यूनल में मौजूद थीं, की सेवाएं दुभाषिए के तौर पर लेने की अनुमित प्रदान की गई।
- (19) अपने बयान में, एसडब्ल्यू-3 श्री अलिंद्र त्रिपुरा, जो पुलिस थाना रेश्याबाड़ी के मामला संख्या 21/2014, दिनांक 09.11.2014 के पीड़ित हैं, ने सबूत के तौर पर अपना दिनांक 01.02.2019 का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रदर्श एस डब्ल्यू-3/ए के रूप में चिह्नित हैं तथा उनके हस्ताक्षर बिंदु 'क' एवं 'ख' पर चिह्नित हैं। डब्ल्यू-3 ने बयान दिया कि रविवार दिनांक 09.11.2014 को रात में लगभग 07.30 बजे, 8/9 सशस्त्र एनएलएफटी उग्रवादियों ने उनके घर पर धावा बोल दिया तथा उनकी झोपड़ी में घुस गए, जहां पर वह तथा उनके करीबी रिश्तेदार गुणाधर त्रिपुरा खाना खा रहे थे तथा उग्रवादी समूह ने बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर लिया। इसमें शामिल उग्रवादी एनएलएफटी समूह के सदस्य थे। तदनुसार, उनके पिता श्री फाल्गुनी त्रिपुरा की शिकायत पर पुलिस स्टेशन रेश्याबाड़ी में दिनांक 09.11.2014 को एफआईआर सं. 21/2014 दर्ज की गई थी। एफआईआर की प्रतिलिपि पहले ही प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/20 के रूप में प्रदर्शित की गई है।
- (20) अपने बयान में, एसडब्ल्यू-4 श्री उदयराम रियांग, जो पुलिस थाना गंडाचेरा के मामला सं. 25/2014 दिनांक 10.08.2014 के पीड़ित हैं, ने सबूत के तौर पर अपना दिनांक 01.02.2019 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रदर्श एस डब्ल्यू-4/क के रूप में चिह्नित है तथा उनके हस्ताक्षर बिंदु 'क' एवं 'ख' पर चिह्नित हैं। एसडब्ल्यू-4 ने बयान दिया कि दिनांक 09.08.2014 को लगभग 11 बजे, वह अपने गांव न्यू जॉयराम पाड़ा, पुलिस थाना गंडाचेरा के पास एक अन्य व्यक्ति जुरीहाम रियांग के साथ अपनी झूम झोपड़ी में थे। उस समय 6/7 सशस्त्र उग्रवादी उनकी झूम झोपड़ी में दाखिल हुए तथा बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद उन्हें छोड़ दिया गया तथा उक्त उग्रवादी संगठन ने एनएलएफटी संगठन की तरफ से एक पत्र छोड़ा जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि पिछले 4 वर्षों कर देय राशियों का भुगतान कर दिए जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। तदनुसार, दिनांक 10.08.2014 को प्रभारी अधिकारी, पुलिस थाना गंडाचेरा से किसी फाल्गुणजॉय रियांग की शिकायत पर दिनांक 10.08.2014 को एफ आई आर सं. 25/2014 दर्ज की गई थी। एफआईआर की प्रति पहले ही प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/21 के रूप में प्रदर्शित की गई है।
- (21) अपने बयान में, एस डब्ल्यू-5 श्री बरेन्द्र त्रिपुरा, जो पुलिस थाना गंडाचेरा के मामला सं. 34/2014 दिनांक 01.10.2014 के पीड़ित हैं, ने सबूत के तौर पर अपना दिनांक 01.02.2019 का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रदर्श एस डब्ल्यू-5/क के रूप में चिह्नित है तथा उनके हस्ताक्षर बिंदु 'क' एवं 'ख' के पर चिह्नित हैं। एस डब्ल्यू-

- 5 ने बयान दिया कि दिनांक 30.09.2014 को आधी रात में लगभग 12 बजे एक अज्ञात सशस्त्र उग्रवादी ने उन्हें उनकी झूम झोपड़ी से बाहर बुलाया तथा बंदूक की नोक पर उन्हें तथा उनके भाई हरेन्द्र त्रिपुरा का अपहरण कर लिया। यह उग्रवादी एनएलएफटी संगठन से संबंधित था तथा उसने उन्हें टैक्स देने के लिए कहा। चूंकि उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, इसलिए उनका अपहरण कर लिया गया। एस डब्ल्यू-5 को बांग्लादेश की तरफ ले जाया गया तथा फिरौती की रकम अदा करने पर उन्हें छोड़ दिया गया। तदनुसार, रेनुमाला त्रिपुरा की शिकायत पर, पुलिस थाना गंडाचेरा में दिनांक 01.10.2014 को एफआईआर सं. 34/2014 दर्ज की गई थी। एफआईआर की प्रति पहले ही प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/22 के रूप में प्रदर्शित की गई है।
- (22) अपने बयान में, एसडब्ल्यू-6 श्री कालाराम त्रिपुरा, जो पुलिस थाना आनंदबाजार के मामला सं. 03/2014 दिनांक 04.03.2014 के पीड़ित हैं, ने सबूत के तौर पर अपना दिनांक 01.02.2019 का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रदर्श एस डब्ल्यू-6/ए के रूप में चिह्नित हैं तथा उनके हस्ताक्षर बिंदु 'क' एवं 'ख' पर चिह्नित हैं। एस डब्ल्यू-6 ने बयान दिया कि दिनांक 02.03.2014 को लगभग शाम 7-8 बजे जब वे सैघरपुर से जॉयमोनी बॉर्डर आउटपोस्ट तक जाने वाली बार्डर लिंक रोड के पास नूतनपाड़ा (मायपाड़ा) स्थित अपने घर पर अपनी पत्नी तथा तीन बेटियों के साथ सो रहे थे, तब गहरे हरे रंग की ड्रेस पहने एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। उन्होंने दो व्यक्तियों की पहचान सैघरपुर गांव के श्री देवसिंगराय रियांग तथा श्री माजयराम रियांग के रूप में की जिनके साथ बंदूकधारी गहर हरे रंग की ड्रेस पहने हुए एक अन्य व्यक्ति भी था। वे चायगढ़पुर गांव से होते हुए तथा अमर बीएसएफ बॉर्डर आउट पोस्ट के दक्षिण पूर्व दिशा में बांग्लादेश की तरफ चले गए। इसमें संलिप्त उग्रवादी एनएलएफटी समूह से संबंधित थे। तदनुसार, दिनांक 04.03.2014 को उनकी पत्नी की शिकायत पर, आनंदबाजार पुलिस थाना में दिनांक 04.03.2014 को एफआईआर सं. 03/2014 दर्ज की गई थी। एफआईआर की प्रति पहले ही प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/26 के रूप में प्रदर्शित की गई है।
- (23) अपने बयान में, एस डब्ल्यू-7 श्री तांगलिंग बासी मलसूम, जो पुलिस स्टेशन किला के दिनांक 07.11.2016 के मामला सं. 16/2016 के पीड़ित है, ने सबूत के तौर पर अपना दिनांक 01.02.2019 का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रदर्श एस डब्ल्यू-7/ए के रूप में चिह्नित है तथा उनके हस्ताक्षर बिंदु 'क' एवं 'ख' पर दिए गए हैं। एस डब्ल्यू-7 ने बयान दिया कि शनिवार दिनांक 07.10.2016 को सुबह लगभग 8 बजे वे दांगा बहादुर मलसूम, निवासी पुलिस थाना किला के घर में गए तथा एनएलएफटी उग्रवादी की तरफ से कुछ जबरन धन वसूली के नोटिस दिए जो किसी एमडी. बसकांग, डिप्टी कलेक्टर, एनएलएफटी समूह के मिनिस्ट्रीय ऑफ फाइनेंस अफेयर्स द्वारा एनएलएफटी के लेटर पैड पर जारी किए गए थे तथा उसे यह निर्देश भी दिए गए थे कि वह इन्हें दांगा बहादुर मलसूम तथा 16 अन्य पंचायत सदस्यों तथा किला आर डी ब्लॉक के अंतर्गत इंजीनियरों को दे दे। तदनुसार, एनएलएफटी उग्रवादियों के निर्देशों के अनुसार उन्होंने ये जबरन धन वसूली के नोटिस दे दिए। दांगा बहादुर मलसूम की शिकायत पर पुलिस थाना किला में दिनांक 07.11.2016 को एफआईआर सं. 16/2016 दर्ज की गई थी। इस एफआईआर की प्रति पहले ही प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/29 के रूप में प्रदर्शित की गई है।
- (24) अपने बयान में, एस डब्ल्यू-8 श्री अपिजोय त्रिपुरा, जो पुलिस थाना रेश्याबाड़ी के दिनांक 22.11.2016 के मामला सं. 14/2016 के पीड़ित हैं, ने सबूत के तौर पर अपना दिनांक 01.02.2019 का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रदर्श एस डब्ल्यू-8/ए के रूप में चिह्नित है तथा उनके हस्ताक्षर बिंदु क एवं ख पर दिए गए हैं। एस डब्ल्यू-8 ने बयान दिया कि शनिवार दिनांक 19.11.2016 को सुबह लगभग 6 बजे उन्हें अपने घर के सामने एक बंडल में अज्ञात एनएलएफटी उग्रवादियों द्वारा दिए गए जबरन धन वसूली के नोटिस प्राप्त हुए। एनएलएफटी उग्रवादियों द्वारा जारी किए गए ये नोटिस रेश्याबाड़ी क्षेत्र के 7 गावों के मुखिया को सम्बोधित किए गए थे। इसमें संलिप्त उग्रवादी एनएलएफटी समूह से संबंधित थे। तदनुसार, पुलिस थाना रेश्याबाड़ी में दिनांक 22.11.2016 को एफआईआर सं. 14/2016 दर्ज की गई थी। इस एफआईआर की प्रति पहले ही प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/29 के रूप में प्रदर्शित की गई है।
- (25) अपने बयान में, एस डब्ल्यू-9 श्री चंद्र कुमार देबबर्मा, जो दिनांक 09.03.2017 को पुलिस थाना बिश्रामगंज के मामला सं. 12/2007 के शिकायतकर्ता हैं, ने सबूत के तौर पर अपना दिनांक 01.02.2019 का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रदर्श एस डब्ल्यू-9/ए के रूप में चिह्नित है तथा उनके हस्ताक्षर बिंदु 'क' एवं 'ख' पर चिह्नित हैं। एस डब्ल्यू-9 ने बयान दिया कि दिनांक 09.04.2017 की सुबह, उन्हें अमरेन्द्र नगर से बंद लिफाफे में अपने नाम का एक पत्र मिला। लिफाफे में उन्हें एनएलएफटी के लेटर पैड पर डी.बसकांग, डिप्टी कलेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर्स द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र मिला जिसमें 10 लाख रुपए देने के लिए कहा गया

- था। उनको यह पता चला कि इसी प्रकार के पत्र श्री हिरिनाथ देवबर्मा, श्री किशोर देवबर्मा, श्री श्रीराम देवबर्मा, श्री भगवान देवबर्मा और श्री नंदा देवबर्मा को भी जारी किए गए थे। पत्र प्राप्त होने पर वे मानिसक रूप से परेशान हो गए और उन्होंने बिश्रामगंज पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। तदनुसार, पुलिस थाना विश्रामगंज में दिनांक 09.03.2017 की एफआईआर सं. 12/2017 दर्ज की गई। एफआईआर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यु-1/30 के रूप में पहले से प्रदर्शित की गई है।
- (26) वेंगमम पुलिस थाने में दिनांक 17.11.2014 को दर्ज मामला सं. 07/2014 के पीड़ित एस डब्ल्यू-10 श्री जितेन चकमा ने अपने साक्ष्य में दिनांक 01.02.2019 का अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रदर्श एस डब्ल्यू-10/ए लिखा है तथा जिस पर 'ए' और 'बी' प्वाइंट पर उनके हस्ताक्षर हैं। एस डब्ल्यू-10 ने यह बयान दिया कि 17.11.2014 को वह सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सीमा सड़क निर्माण एजेंसी 'कॉस्टल कंस्ट्रक्शन कम्पनी' के वाटर टैंकर में पानी लेने गया था। पानी भरने के बाद खातलांग के बीच पहुंचने पर 4/5 एनएलएफटी उग्रवादियों ने परिष्कृत हथियारों से फायर करके उनके वाहन पर हमला कर दिया जिससे गोली लगने से वे और दो अन्य व्यक्ति घायल हो गए। वह वाटर टैंकर भारत-बांग्लादेश सीमा पर लगी बाड़ से टकरा गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायल व्यक्तियों को हवाई जहाज से जी.बी.पी. हॉस्पिटल, अगरतला ले जाया गया। तदनुसार, पुलिस थाना वेंगमम में दिनांक 17.11.2014 को एफआईआर सं. 07/2014 दर्ज की गई। एफआईआर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/27 के रूप में पहले ही प्रदर्शित की गई है।
- (27) एस डब्ल्यू-11/कल्याणपुर पुलिस थाना, जिला खोवई, त्रिपुरा में नियुक्त उप पुलिस निरीक्षक श्री बिदेश्वर सिन्हा/सिंघा, जो पश्चिम अगरतला पुलिस थाना में दिनांक 19.09.2015 को दर्ज मामला सं. 136/2015 के शिकायतकर्ता भी हैं, ने अपने साक्ष्य में दिनांक 01.02.2019 का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रदर्श एस डब्ल्यू-11/ए लिखा हुआ है तथा जिस पर प्वाइंट 'ए' और 'बी' पर उसके हस्ताक्षर हैं। एस डब्ल्यू-11 ने यह बयान दिया कि राज्य में दो उग्रवादी गुट, अर्थात् एनएलएफटी और एटीटीएफ और उनके विभिन्न गुट/विंग सिक्रय थे। जब वे पश्चिम अगरतला पुलिस थाने में उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त थे तो उन्होंने 19.09.2015 को एनएलएफटी के 7 कॉडरों अर्थात् श्री चन्द्रशेखर देबबर्मा, श्री राजेश देबबर्मा, श्री कनेन्द्र त्रिपुरा, बिंदुराम त्रिपुरा, सुब्रता देबबर्मा, काजल देबबर्मा और राजीव देबबर्मा और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध स्वतः शिकायत दर्ज कराई। अपराध के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (1), भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121/124 (ए)/153(ए) (बी) /386/120 (बी), अधिनियम की धारा 10/13 और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रारंभिक जांच करने के बाद पुलिस थाना पश्चिम अगरतला में दिनांक 19.09.2015 की एफआईआर सं. 136/2015 में मामला दर्ज किया गया। एफआईआर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/25 के रूप में पहले ही प्रदर्शित की गई है। इस मामले में आरोप पत्र दिनांक 27.06.2016 को दायर किया गया है।
- (28) एस डब्ल्यू-12 श्री गौतम देवबर्मा, उप पुलिस निरीक्षक, जो इस समय अभोयनगर टीओपी, थाना न्यू कैपिटल कम्पलेक्स, पश्चिम त्रिपुरा, अगरतला के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात हैं और जो रेश्याबाड़ी पुलिस थाने में दिनांक 04.10.2017 को दर्ज मामला सं. 18/2017 के शिकायतकर्ता भी हैं, ने साक्ष्य में अपना दिनांक 01.02.2019 का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रदर्श एस डब्ल्यू-12/ए लिखा हुआ है तथा जिस पर प्वाइंट 'ए' और 'बी' पर उसके हस्ताक्षर हैं। एस डब्ल्यू-12 ने यह बयान दिया कि राज्य में दो उग्रवादी गुट अर्थात् एनएलएफटी और एटीटीएफ तथा उनके विभिन्न गुट/विंग सिक्रय थे। उनके लक्ष्य और उद्देश्य राज्य में हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर अलगाववाद को बढ़ावा देना था। जब वे रेश्याबाड़ी पुलिस थाने में उप निरीक्षक के रूप में तैनात थे तो दिनांक 29.09.2017 को मदनजाय रौजा, पुष्पधान, हरचन्द्र रौजा और तरन रौजा के विरुद्ध बोलखाली एडसी विलेज में तथाकथित 'सबस्क्रिप्शन' नोटिस तामील किया गया। तदनुसार, पुलिस थाना रेश्याबाड़ी में 04.10.2017 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 385/120(बी)/153 के अंतर्गत स्वत: मामला सं. 18/2017 दर्ज किया गया। एफआईआर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/31 के रूप में पहले ही प्रदर्शित की गई है। इस मामले में जांच चल रही है।
- (29) एस डब्ल्यू-13 श्री उमाचरण त्रिपुरा, उप पुलिस निरीक्षक, जो इस समय धुमाचारा पुलिस थाने में तैनात हैं और जो दिनांक 09.11.2017 को तेलियामूरा पुलिस थाने में दर्ज मामला सं. 83/2017 में जांच अधिकारी भी हैं, ने साक्ष्य में अपना दिनांक 01.02.2019 का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रदर्श एस डब्ल्यू-13/ए लिखा हुआ है तथा जिस पर प्वाइंट 'ए' और 'बी' पर उसके हस्ताक्षर हैं। एस डब्ल्यू-13 ने यह बयान दिया कि राज्य में दो उग्रवादी गृट, अर्थात् एनएलएफटी और एटीटीएफ तथा उनके विभिन्न गृट/विंग सक्रिय हैं। जब वे तेलियामूरा

पुलिस थाने में उप निरीक्षक के रूप में तैनात थे तो 07.11.2017 के अपराह्न एटीटीएफ के रंजीत देबबर्मा ने भड़काऊ और देशद्रोह से भरा भाषण दिया और तेलियामूरा पुलिस थाना, खोवई जिले के अतर्गत दुस्की मार्केट में शस्त्र ले जाने की धमकी दी। तदनुसार, तेलियामूरा पुलिस थाने में त्रिपुरा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 82 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 124(ए)/153(ए)(बी)/120 (बी) के अंतर्गत 09.11.2017 को एफआईआर सं. 83/2017 दर्ज की गई। एफआईआर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/32 के रूप में पहले ही प्रदर्शित की गई है।

- (30) पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद अधिकरण की कार्यवाहियों के दौरान एनएलएफटी और एटीटीएफ की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ और इस प्रकार किसी सरकारी गवाह से जिरह नहीं की गई। अधिकरण की कार्यवाहियों के लिए 03 फरवरी, 2019 की तारीख तय कर दी गई थी जो सरकारी गवाहों सहित अन्य गवाहों, यदि कोई हो, से पूछताछ के लिए पहले से ही तय कर दी गई थी।
- (31) त्रिपुरा राज्य की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता ने 03 फरवरी, 2019 को यह कहा कि राज्य सरकार के पास पेश किए जाने के लिए और कोई गवाह नहीं है। कोई सरकारी गवाह भी मौजूद नहीं था। तदनुसार, त्रिपुरा राज्य की ओर से साक्ष्य पूरा हो गया। केन्द्र सरकार द्वारा 30.01.2019 को दायर शपथ-पत्र को रिकॉर्ड में लिया गया। अधिकरण की कार्यवाहियां, केन्द्र सरकार के साक्ष्य तथा जिरह, यदि कोई हो, को रिकॉर्ड करने के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय में 25 फरवरी, 2019 के लिए निर्धारित की गई।
- (32) 25 फरवरी, 2019 को केन्द्र सरकार के गवाह, सीडब्ल्यू-।, सुश्री नीता गुप्ता ने साक्ष्य के रूप में अपना दिनांक 30.01.2019 का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रदर्श सी डब्ल्यू-1/1 लिखा हुआ है तथा जिस पर प्वाइंट 'ए' और 'बी' पर उनके हस्ताक्षर हैं। सी डब्ल्यू-1 ने अपने शपथ-पत्र के समर्थन में 5 दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। एनएलएफटी और एटीटीएफ के लक्ष्यों/उद्देश्यों और हिंसक गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त सार प्रदर्श सी डब्ल्यू-1/ए के रूप में प्रदर्शित किया गया है। एनएलएफटी और एटीटीएफ के संविधान की संलग्न प्रतियों पर प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/बी तथा प्रदर्श एसडब्ल्यू-1/सी लिखा है जिन्हें एस डब्ल्यू-1 द्वारा प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/1 और प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/2 के रूप में पहले ही प्रदर्शित किया गया है। 03.10.2013 से 29.09.2017 तक की अवधि के दौरान शामिल एनएलएफटी उग्रवादियों के मामलों का सार प्रदर्श सी डब्ल्यू-1/डी के रूप में संलग्न है। सी डब्ल्यू-1 ने प्रदर्श सी डब्ल्यू-1/ई के रूप में प्रदर्शित दिनांक 03.10.2018 की अधिसूचना सं. 5078 (ई) की प्रति को सत्यापित किया।

सी डब्ल्य-1 ने यह बयान दिया कि एनएलएफटी का गठन जुन, 1989 में हुआ था। फरवरी, 2001 में एनएलएफटी का शीर्ष नेता नयनवासी जमातिया अपने अनुयायियों के साथ इस गृट से अलग हो गया और उसने एनएलएफटी (एन) के नाम से एक नए संगठन का गठन किया और उसने 17.12.2004 को सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इस संगठन के कुछ कॉडर मुख्यधारा में शामिल हो गए। दूसरी ओर विश्वमोहन देबबर्मा के नेतृत्व में एनएलएफटी के अधिकांश कॉडर, जिनको एनएलएफटी (बी) के रूप में जाना जाता था. हिंसक और विधिविरुद्ध गतिविधियों में शामिल बने रहे। एटीटीएफ का गठन 1993 में किया गया और रंजीत देबबर्मा इस गृट का नेतृत्व कर रहा था। एनएलएफटी और एटीटीएफ का स्पष्ट उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के साथ मिलकर त्रिपुरा को भारत संघ से अलग करके एक पृथक राष्ट्र की स्थापना करना था और जबरन धन वसुली, लूटपाट और फिरौती के लिए अपहरण एनएलएफटी की आय के मुख्य स्रोत हैं। 03.04.1997 से प्रतिबंध लगाए जाने और समय-समय पर इसका विस्तार किए जाने के बावजुद एनएलएफटी और एटीटीएफ की विधिविरुद्ध गतिविधियां जारी हैं। वर्ष 2013 से 2018 तक के पिछले पांच वर्ष में एनएलएफटी द्वारा 12 हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया जिनमें 2 सुरक्षा बल कार्मिकों और एक नागरिक की मृत्यु हो गई तथा 21 लोगों का अपहरण कर लिया गया। तदनुसार केन्द्र सरकार ने एनएलएफटी और एटीटीएफ को, त्रिपुरा को भारत से अलग करने के उद्देश्य से उनकी हिंसक और आतंकी गतिविधियों के जारी रहने के कारण अधिनियम के अंतर्गत 03 अक्तूबर, 2018 से पांच वर्ष की अवधि तक 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित कर दिया था। यदि इस अधिसचना को प्रभावी बनाने में विलंब किया गया तो यह संगठन इसका अनुचित फायदा उठाएंगे और राज्य में अलगाववादी, विध्वंसक आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपने कॉडरों को एकजट करेंगे।

- (33) सुनवाई के दौरान, सी डब्ल्यू-1 ने एक सीलबंद लिफाफा प्रस्तुत किया जिसमें इस अधिकरण के अवलोकनार्थ त्रिपुरा सरकार, रक्षा मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो, मंत्रिमंडल सचिवालय (अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग), महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल से प्राप्त टिप्पणियां/विचार थे।
- (34) पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद 25 फरवरी, 2019 को अधिकरण की कार्यवाहियों के दौरान एनएलएफटी और एटीटीएफ की ओर से कोई पेश नहीं हुआ और इस प्रकार गवाह से जिरह नहीं की गई।
- (35) केन्द्र सरकार और त्रिपुरा राज्य सरकार ने मामले का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार अपने तर्क प्रस्तुत किए कि :-
 - क. एनएलएफटी का गठन जून, 1989 में और एटीटीएफ का गठन 1993 में हुआ। एनएलएफटी और एटीटीएफ दोनों का स्पष्ट उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के साथ मिलकर त्रिपुरा को भारत संघ से अलग करके एक पृथक देश की स्थापना करना था। एनएलएफटी, उत्तरी त्रिपुरा, धलाई, गोमती और पश्चिम त्रिपुरा जिलों में सक्रिय बना हुआ है तथा इसके पास बड़ी मात्रा में विस्फोटकों सहित लगभग 200 हथियार हैं। एटीटीएफ के पास भी बड़ी तादाद में बांग्लादेश में परिष्कृत शस्त्र एवं गोलाबारूद के छिपे होने का अनुमान है।
 - ख. सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से त्रिपुरा को भारत संघ से अलग करने के अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए एनएलएफटी और एटीटीएफ दोनों लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को अस्थिर करने के लिए त्रिपुरा में अलगाववादी, राष्ट्र विरोधी और विघटनकारी गतिविधियों में शामिल रहे थे।
 - ग. एनएलएफटी के कॉडर त्रिपुरा में निरंतर जबरन धनवसूली के नोटिस देने और व्यापारियों, ठेकेदारों, दुकानदारों, सरकारी कर्मचारियों, ग्रामीणों तथा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम और इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों से जबरन धन वसूली में लगे हुए थे और इस प्रकार जबरन धन वसूली, लूटपाट और फिरौती के लिए अपहरण एनएलएफटी की आय के प्रमुख स्रोत थे।
 - घ. एटीटीएफ प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल था जैसे (i) एनएलएफटी के साथ मिलकर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोहों का बहिष्कार करना, (ii) इन अवसरों पर काले झंडे फहराना, (iii) राज्य में आदिवासी लोगों वाले अंदरूनी क्षेत्रों में विकास कार्यों को रोकना और दहशत और डर का माहौल पैदा करना, (iv) यहां के शांतिप्रिय लोगों का शोषण करने के उद्देश्य से इन लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करना और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए यहां के लोगों को अपनी मौजूदगी महसूस कराना।
 - ङ. एटीटीएफ के नेताओं ने आत्मसमर्पण करने वाले कॉडरों के पुनर्वास की मांग उठाने के लिए अक्तूबर, 2017 में गठित त्रिपुरा यूनाइटेड पीपुल्स काउंसिल (टीयूपीसी) के तत्वाधान में अपने आपको पुनर्गठित करने के प्रयास किए तथा कुछ नेताओं ने त्रिपुरा रजवाड़े के भारत संघ में विलय के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए।
 - च. 03 अप्रैल, 1997 से प्रतिबंध लगाए जाने और समय-समय पर इसका विस्तार किए जाने के बावजूद एनएलएफटी और एटीटीएफ ने अपनी विधिवरुद्ध गतिविधियां जारी रखीं और पिछले पांच वर्ष के दौरान वर्ष 2013 से 2018 तक एनएलएफटी द्वारा 12 हिंसक घटनाओं को अंजाम दिए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी जिनमें 2 सुरक्षा बल कार्मिक और एक नागरिक की मृत्यु हो गई तथा 21 लोगों का फिरौती के लिए अपहरण किया गया था।
 - छ. त्रिपुरा राज्य सरकार, रक्षा मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो, मंत्रिमंडल सचिवालय (अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से परामर्श किया गया था और उन्होंने एनएलएफटी तथा एटीटीएफ पर प्रतिबंध को जारी रखने की सिफारिश की। सीमा सुरक्षा बल ने भी एनएलएफटी को 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करने की सिफारिश की।
 - ज. दिनांक 03.10.2013 को जारी की गई पूर्व अधिसूचना की अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिकरण द्वारा पुष्टि की गई और इसके परिणामस्वरूप एनएलएफटी और एटीटीएफ पर दिनांक 02.10.2018 को प्रतिबंध लगा दिया गया।

- झ. एनएलएफटी और एटीटीएफ को, त्रिपुरा को भारत से अलग करने की नीति के उनके निरंतर समर्थन, भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकर गतिविधियों में उनकी निरंतर संलिप्तता, अपने उद्देश्यों को हासिल करने के साधनों के रूप में सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से निरंतर हिंसा और आतंक फैलाने; व्यावसायियों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों सहित जनता से जबरन धन वसूली और अवैध कर वसूली तथा पड़ोसी देशों में अपने ठिकानों, सुरक्षित अड्डों तथा प्रशिक्षण शिविरों को बनाए रखने के कारणों से, दिनांक 03.10.2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5078 (अ) के तहत 03 अक्तूबर, 2018 से पांच वर्ष की और अवधि तक केन्द्र सरकार द्वारा 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किया गया था।
- ञ. त्रिपुरा राज्य सरकार ने पुलिस अधीक्षक, अवर सचिव (गृह विभाग), 3 उप पुलिस निरीक्षकों और 8 पीड़ितों/गवाहों के माध्यम से अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। 13 राज्य गवाहों ने इस अधिकरण के समक्ष गवाही दी है और शपथ-पत्रों पर 13 साक्ष्य फाइल किए गए हैं जिनको उचित प्रकार से प्रदर्शित किया गया है।
- ट. केन्द्र सरकार ने अपना साक्ष्य निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से प्रस्तुत किया है। गवाह ने इस अधिकरण के समक्ष गवाही दी है और शपथ-पत्र पर साक्ष्य को फाइल किया गया है जिसे उचित रूप से प्रदर्शित किया गया है।
- (36) उपर्युक्त के अतिरिक्त, सीलबंद लिफाफों में दस्तावेजों के अवलोकन से केन्द्र सरकार का पक्ष मजबूत होता है। इन दस्तावेजों के विवरण पर स्पष्ट कारणों से चर्चा नहीं की गई है। यह कहना काफी है कि ये दस्तावेज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि :-
 - (क) इन एसोसिएशनों की हिंसक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई है और इसलिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सुरक्षा बलों को हाई अर्लट पर रखा गया है।
 - (ख) ये एसोसिएशन अपनी अलगाववादी गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं।
 - (ग) एनएलएफटी और एटीटीएफ जबरन धन वसूली, निर्दोष लोगों की हत्या, त्रिपुरा राज्य में असंतोष पैदा करने की वकालत करते रहे हैं।
- (37) केन्द्र सरकार और त्रिपुरा राज्य दोनों के द्वारा इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्य तथा एनएलएफटी और एटीटीएफ द्वारा इन तथ्यों से इंकार न किए जाने अथवा इन संगठनों द्वारा इनका कोई खंडन न किए जाने से त्रिपुरा राज्य के विद्वान वकील की दलीलों को स्वीकार किया जाता है। भारत सरकार और त्रिपुरा राज्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह पता चलता है कि एनएलएफटी और एटीटीएफ का इरादा त्रिपुरा राज्य में ऐसी हिंसक गतिविधियों को अंजाम देना है जिनसे राज्य में असंतोष फैले, जो राष्ट्र की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए हानिकर हों, और इस प्रकार ये अधिनियम की धारा 2 (ण) के अंतर्गत विधिविरुद्ध गतिविधियां हैं।
- (38) रिकॉर्ड में लिए समूचे साक्ष्य के सम्पूर्ण विश्लेषण से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि एनएलएफटी और एटीटीएफ की गतिविधियां विधिविरुद्ध हैं और केन्द्र सरकार का यह निष्कर्ष, कि ये एसोसिएशन सरकार के प्राधिकार को कमतर करते हुए हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और त्रिपुरा को भारत संघ से अलग करने के अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए लोगों में आतंक और हिंसा फैला रहे हैं, पूरी तरह सही है। केन्द्र सरकार का यह मत, कि यह एसोसिएशन अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत की संप्रभता और अखंडता के लिए हानिकर हिंसक और अवैध गतिविधियों में लगे हए हैं. भी सही है।
- (39) केन्द्र सरकार और त्रिपुरा राज्य सरकार ने इस निष्कर्ष के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि ये एसोसिएशन नागरिकों और त्रिपुरा राज्य में पुलिस और सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या; व्यवसायियों और व्यापारियों सहित जनता से जबरन धन वसूली तथा सुरिक्षत ठिकानों, प्रशिक्षण, शस्त्र एवं गोलाबारूद के प्रापण के प्रयोजन के लिए त्रिपुरा के विभिन्न भागों और पड़ोसी देशों में शिविरों की स्थापना और उनके रखरखाव में शामिल रहे हैं।
- (40) केन्द्र सरकार और त्रिपुरा राज्य राज्य अधिकरण को यह समझाने में भी समर्थ रहे हैं कि यदि एनएलएफटी और एटीटीएफ पर तत्काल कोई अंकुश और नियंत्रण नहीं लगाया गया तो ये संगठन इस अवसर का लाभ अपने काडरों को एकजुट करने तथा अपनी अलगाववादी, विध्वंसक और हिंसक गतिविधियों को बढ़ाने, राष्ट्र

विरोधी गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने, नागरिकों, पुलिस और सुरक्षा बल कार्मिकों की हत्या करने, अवैध शस्त्र एवं गोलाबारूद इकट्ठा करने और जनता से अवैध रूप से जबरन धन वसूली करने और इस प्रकार अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उठाएंगे।

- (41) इन परिस्थितियों में सरकार ने अधिनियम की धारा 3(1) और अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत की गई घोषणा की पृष्टि करने के लिए पर्याप्त कारण दिए हैं।
- (42) इसके परिणामस्वरूप, अधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष दिया जाता है कि दिनांक 03.10.2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 5078(अ) पूरी तरह से न्यायोचित है। एनएलएफटी और एटीटीएफ को 03 अक्तूबर, 2018 से पांच वर्ष की अवधि तक विधिविरुद्ध संगम घोषित करने का पर्याप्त कारण है।

न्यायमुर्ति सुरेश कुमार कैत

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

14 मार्च, 2019

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2019

S.O. 1709(E).—In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble justice Mr. Suresh Kumar Kait Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the National Liberation Front of Tripura (NLFT) and All Tripura Tiger Force (ATTF) of Tripura as Unlawful Associations is published for general information:

[No. 11011/05/2018-NE-V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secv.

TRIBUNAL

UNDER THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967

IN THE MATTER OF: NATIONAL LIBERATION FRONT OF TRIPURA (NLFT) & ALL TRIPURA TIGER

FORCE (ATTF) OF TRIPURA

AND IN THE MATTER OF: REFERENCE UNDER SECTION 4 (I) OF THE UNLAWFUL

ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967

REPORT

- (1) On 03rd October, 2018, a notification no. S.O.5078 (E) was issued by Mr. Satyendra Garg, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India to the effect that National Liberation Front of Tripura along with all its factions, wings and front organizations (hereinafter referred to as the NLFT). and All Tripura Tiger Force along with all its factions, wings and front organizations (hereinafter referred to as the ATTF), as unlawful associations.
- (2) The Government of India is of the opinion that NLFT and ATTF have, as their professed aim, establishment of an independent nation by secession of Tripura from India through armed struggle in alliance with other armed secessionist organizations of Tripura and to incite indigenous people of Tripura for such secession.
- (3) The Government of India is also of the opinion that the NLFT and ATTF have been engaging in subversive and violent activities, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and violence among the people for achieving their objectives; maintaining close nexus with other unlawful associations of North-East with the aim of mobilizing their support; engaging in violent and unlawful

- activities in pursuance of their aim and objectives in recent past which are pre-judicial to the sovereignty and integrity of India.
- (4) The Government of India is furthermore of the Opinion that the violent and unlawful activities of NLFT and ATTF include killing of civilians and personnel belonging to the police and security forces; extortion of funds from the public including businessmen and traders in Tripura; establishing and maintaining camps in neighboring countries for the purpose of safe sanctuary, training, procurement of arms and ammunitions etc.
- (5) The Central Government is moreover of the opinion that the activities of the NLFT and the ATTF are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that they are unlawful associations.
- (6) The Central Government is over and above of the opinion that unless there is no immediate curb and control upon NLFT and ATTF, the organizations may mobilize their cadres for escalating their secessionist, subversive and violent activities; propagate anti-national activities in collusion with forces inimical of India's sovereignty and national integrity; indulge in killings of civilians and targeting of the police and security forces personnel; procure and induct illegal arms and ammunitions from across the international borders; extort and collect huge funds from the public for their unlawful activities.
- (7) Consequently, in exercise of the powers conferred by Section 3 (1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereinafter referred to as the Act), the Central Government declared the NLFT and ATTF along with all their factions, wings and front organizations, as unlawful associations.
- (8) The Central Government is further of the opinion that it is necessary to declare the NLFT and the ATTF along with all their factions, wings and front organizations as unlawful associations with immediate effect. Accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to Section 3 (3) of the Act, the Central Government has directed that the notification shall, subject to any order made under Section 4 of the Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.
- (9) Under these circumstances, and in exercise of powers conferred by Section 5 (1) of the Act, this Tribunal was constituted by notification no. S.O.5741 (E) dated 15th November, 2018 issued by Mr. Satyendra Garg, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the NLFT and ATTF as unlawful associations. By virtue of Section 4 (3) of the Act, the Tribunal is required to adjudicate whether or not there is sufficient cause for declaring the NLFT and ATTF as unlawful associations within the meaning of the expression defined under Section 2 (p) of the Act.
- (10) In support of the case, the Central Government made a reference to the Tribunal and submitted a brief regarding the aims/objectives and violent activities of NLFT and ATTF.
- (11) On 27th November, 2018, notice under Section 4 (2) of the Act, was issued to NLFT and ATTF to show cause within 30 days from the date of service of the notice as to why the said associations be not declared unlawful and why order should not be made confirming the declaration made under Section 3 (1) of the Act. It was also directed that notice shall be served in the same manner as the Notification banning NLFT and ATTF had been served. It was further directed that the notice shall be served on the aforesaid organizations in the following manner:-
 - a) Copies of the notice be affixed at some conspicuous part of the offices, if any, of the above Associations;
 - b) Notice be also served on the aforesaid Associations by publication in daily newspapers, one in English and one in prominent local newspaper in vernacular language, which is under circulation in the locality where the organizations have their establishments or presence as is known in the State of Tripura and outside. Service be also effected on the Office bearers of the National Liberation Front of Tripura (NLFT) & All Tripura Tiger Force (ATTF) at their addresses or if under detention through the Superintendent (Jail) concerned.
 - Proclaiming by beat of drums or by means of loudspeakers, the contents of the notice in the area in which the activities of the Associations are ordinarily carried out;
 - d) By publishing on the website of the Ministry of Home Affairs (http://mha.nic.in)
 - e) By making announcement on All India Radio and telecasting on Doordarshan from the Local Broadcasting and Transmission Stations of the State of Tripura, and
 - f) Notice should also be served by pasting the same on the Notice Board of the Office of District Magistrate/Tehsildar at the Headquarter of the District or Tehsil, as feasible.

- (12) Pursuant to order dated 27th November, 2018, Mr. J. K. Batra, appointed as Registrar of the Tribunal, filed his report dated 15th January, 2019 to evidence that notice was served/published in different modes upon the organizations. The State of Tripura also filed an affidavit dated 21st January, 2019 of Shri Baijoyanta Das, Deputy Resident Commissioner, Government of Tripura, Tripura Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi to the effect that as per the directions of the Tribunal, service of notice has been effected upon the associations by different modes including publication. The Central Government as well filed an affidavit dated 21st January, 2019 of Smt. Neeta Gupta, Director, Ministry of Home Affairs, North Block, Government of India to the effect that the associations have been served in the modes prescribed by the Tribunal.
- (13) Despite service of notice, there was no appearance on behalf of the NLFT and ATTF before the Tribunal in its proceedings dated 21st January, 2019 nor any petition, message, reply, letter was received from the said organizations and the Tribunal decided to proceed further. On the request of learned ASG appearing for the Central Government and the learned counsel for the Government of Tripura, the dates for recording the evidence of witnesses and cross-examination, if any, were fixed for 2nd February, 2019 & 3rd February, 2019 in Agartala, Tripura. The State Government of Tripura was directed to give due publicity in the local newspapers and through media regarding the dates of sitting and the venue of the Tribunal much in advance. Though there was no response from the NLFT and the ATTF nor they were being represented but liberty was given to the organizations to have themselves represented before the Tribunal, if they wish to do so
- (14) During the proceedings of the Tribunal dated 21st January, 2019, the State of Tripura filed Affidavit of Evidence dated 21.01.2019 of Shri Baijoyanta Das, Deputy Resident Commissioner, Government of Tripura, Tripura Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi along with supporting documents like FIRs registered in the districts of Tripura in support of the case for declaring the NLFT and ATTF as unlawful associations. The Central Government sought short time to file its substantial affidavit before the Tribunal to substantiate its case.
- (15) The proceedings of the Tribunal to record the evidence on behalf of Government and cross-examination, if any, were held on 2nd February, 2019 in the VIP Lounge, State Guest House, Agartala, Tripura. The learned counsel appearing for the State of Tripura submitted that 13 witnesses were to be produced by the State before the Tribunal out of which 5 witnesses i.e. SW-1, SW-2, SW-11, SW-12 and SW-13 were Government officers/officials while 8 witnesses i.e. SW-3 to SW-10 were victims/witnesses in FIRs already registered in the districts of Tripura. The individual affidavits of SW-1 to SW-13 were filed. The witnesses produced before the Tribunal were:-
 - SW-1, Shri Abhijit Saptarshi, S/o Sh. Jaikrishna Saptarshi, Superintendent of Police, Special Branch, Tripura, Agartala;
 - SW-2, Shri Arup Deb, S/o Lt. Arunendu Deb, Under Secretary, Home Department, Government of Tripura, Agartala;
 - SW-3, Shri Alindra Tripura, S/o Sh. Falguni Tripura, R/o Mayakumar Tripura, PS Raishyabari, District Dhalai Tripura, aged 27 years, Victim of Raishyabari PS Case no. 21/2014 dated 09.11.2014;
 - SW-4, Shri Udayram Reang, S/o Sh. Pushparam Reang, R/o New Joyram Pur, PO Dalapati, PS Gandacherra, District Dhalai, Tripura, aged 33 years, victim of Gandacherra Police Station case no. 25/2014 dated 10.08.2014;
 - SW-5, Shri Barendra Tripura, S/o Sh. Kung Kumar Tripura, aged 34 years, R/o Girachandra Para, PO Dalapati, PS Gandacherra, District:- Dhalai, Tripura, one of the victims of Gandacherra Police Station case no. 34/2014 dated 01.10.2014;
 - SW-6, Shri Kalaram Reang, S/o Lt. Laba Chandra Reang, aged 69 years, R/o Nutanpara (Maipara), Saigherpur, PS Anandabazar, District North Tripura, victim of Anandabazar Police Station case no. 03/2014;
 - SW-7, Shri Tangling Basi Malsum, S/o Lt. Krishna Chandra Malsum, aged 28 years, R/o Dakbari, PS Killa, District Gomati Tripura, inhabitant under Killa Police Station;
 - SW-8, Shri Apijoy Tripura, S/o Sh. Karamjoy Tripura, aged 34 years, R/o Mandanjoy Para, PO Raishyabari, District Dhalai Tripura, inhabitant of Raishyabari Police Station;
 - SW-9, Shri Chandra Kumar Debbarma, S/o Sh. Radhacharan Debbarma, aged 64 years, R/o Amarendra Nagar, PS Bishramganj, District Sepahijala Tripura, complainant of Bishramganj Police Station;
 - SW-10, Shri Jiten Chakma, S/o Sh. Surendra Chakma, aged 32 years, R/o Santinagar, PS Pecharthal, District Unakoti Tripura, victim of Vangmum Police Station;

- SW-11, Shri Bideswar Sinha/Singha, S/o Sh. Nabakishore Sinha, Sub- Inspector of Police Station-Kalyanpur, District Khowai, Tripura;
- SW-12, Shri Goutam Debbarma, Sub-Inspector/Officer In charge in Abhoynagar TOP, Police Station, New Capital Complex, West Tripura, Agartala; and
- SW-13, Shri Umacharan Tripura, Sub-Inspector of Police, Police Station Dhumchara and at the time of lodging of FIR, posted at Police Station Teliamura, West Tripura.
- (16) In his deposition, SW-1 Shri Abhijit Saptarshi tendered his affidavit dated 01.02.2019 in evidence marked as Ex. SW-1/A and his signatures were marked at point 'A' & 'B'. SW-1 also deposed that the documents running into 515 pages with the affidavit dated 21.01.2019 of Mr. Baijoyanta Das, Deputy Resident Commissioner, Government of Tripura already filed by the State of Tripura be taken as the part of his affidavit. SW-1 verified the affidavit dated 21.01.2019 of Mr. Baijoyanta Das, Deputy Resident Commissioner, Government of Tripura marked as Ex. SW-1/A-1. SW-1, in his affidavit stated that the provisions of the Act were invoked by the Government of India for the first time in 1997 and on account of the continued secessionist and violent activities, the organizations have been continuously banned till date. He further stated that NLFT and ATTF continue to espouse cessation of Tripura from the Union of India as its aim and objective; and to achieve this objective they continue to indulge secessionist, subversive, violent and terrorist activities; and the organizations boycott the celebrations of the National events like Republic Day and Independence Day. He further stated that constitutions of the NLFT and ATTF speak of cessation from the Indian Union as their objective. The copies of constitutions of NLFT and ATTF, in circulation, were exhibited as Ex. SW-1/1 and Ex. SW-1/2.

In his affidavit SW-1 elucidated ATTF and NLFT have adopted a separate constitution providing for a 'Separate People's Republic Government' with the trappings of a civilian set-up and they also maintain separate armed wing with a hierarchical setup on the pattern of the regular army. The NLFT and ATTF are equipped with a large number of lethal weapons, including sophisticated weapons of mass destruction. The true copy of the list of office bearers of NLFT was exhibited as Ex. SW-1/3.

In his affidavit, SW-1 stated that with the objective of achieving their professed aim of establishing a 'Borokland, Tripura' by 'liberating' Tripura from the Indian Union, the NLFT and ATTF indulge in activities of attack on police and paramilitary forces, looting of arms and ammunitions, violence against civilians, kidnappings and extortions, procurement of arms and ammunitions by illegal means & use them to disturb peace and tranquility and subvert the Constitution of India and the laws framed there under.

SW-1 cited that interrogation reports of surrendered militants indicate that one Biswamohan Debbarma @ D. Baithang @ Paithak, S/o Braja Kishore Debbarma of Sumantapara, PS Champahowar, Khowai District, the self-styled president of NLFT had now been elevated to the post of Advisor. The Second- in-Command of the outfit namely Subir Debbarma @ D. Yamrak S/o Shri Kamal Debbarma of Bargachiya, PS Sidhai, West District had been elevated to the rank of SS President (the two names cited at sl. no. 1 and 2 in the details of office bearers of NLFT already marked as Ex. SW-1/3) and these persons had been found loitering in Bangladesh and Myanmar.

SW-1 also stated that the statements of the surrendered militants reveal about collection of arms by the NLFT with the help of foreign agencies as well as other North East based outfits viz. NSCN (K), ULFA, UNLF, PREPAK, RPF and KLO and the group members were deliberately recruiting innocent tribal youths with false promise and taking them to Bangladesh for imparting guerrilla training with the intention to accelerate their so-called arms struggle.

SW-1 has specified in his affidavit that one Ranjit Debbarma @ Anshuman Mandi @_Binoy Tripura, the self-styled president of ATTF/TPDF/RPA was arrested on 23:01.2013 by Police Station Sidhai while crossing over to Indian Territory from Bangladesh and was taken into judicial custody till 01.11.2014. On 11.11.2017, he was again arrested for his involvement in Teliamura PS case no. 83/2017 dated 09.11.2017 u/s 123 (A)/153 (A)(B)/120 (B) IPC read with Section 10, 13 and 18 of the Act and 82 of Tripura Police Act, 2007. The interrogation report of Ranjit Debbarma was exhibited as Ex, SW-1/7.

SW-1 also tendered an interrogation report of one Jamana Debbarma @ Jamuna @ Rebika Debbarma @ Rebika Jamatia W/o Lt. Pusparam Jamatia @ Nokbar, a SS Sergeant in ATTF, and surrendered on 07.12.2013 before 35th BN Tripura Rifles as per Mandai PS G.D. entry no. 150 dated 07.12.2013 reported S.B. on 01.10.2016 vide Home Department letter no. 2351 dated 21.09.2016. The copy of interrogation report was exhibited as Ex. SW-1/6. The interrogation report revealed that the strength of ATTF was about 10/15 cadres and all had taken shelter in different parts of Bangladesh. The ATTF was still in possession of large quantity of weapons and had strong connections with various North-East insurgent groups like ULFA of Tripura, PLA of Manipur and NSCN (K) of Nagaland and KLO of West Bengal.

- SW-1 in his affidavit further specified that NLFT and ATTF were trying to motivate the Tribal Community for creation of a separate State 'Twipra' for Tripuries. The NLFT had fighting strength of around 85 to 90 cadres possessing around 80 sophisticated weapons like AK Rifles, SLR, INSAS, LMG, 2 inch Mortar, Rocket Launcher etc. and large quantities of explosives. Although the NLFT and ATTF remained dormant in Bangladesh but they might become active in India at any opportune moment. The true copies of the fire power capacity of NLFT was exhibited as Ex. SW-1/4. The true copy of the list of extremist camps situated in Bangladesh was exhibited as Ex. SW-1/5.
- SW-1 in his affidavit quoted that during the period from 03.10.2013 to February, 2018, a total of 12 extremist related cases had been registered in different police stations of Tripura involving NLFT militants in which 2 BSF Personnel were killed, one civilian sustained injuries and as many as 7 civilians were abducted for ransom. The copy of statistics was exhibited as Ex. SW-1/8. The copy of list of victims was exhibited as Ex. SW-1/9.
- SW-1 tendered a copy of interrogation report of surrendered SS Dy. Chief of Army Staff of NLFT, namely, Atahrababu Halam @ Babu @ Semifa @ Buldog-1 surrendered to DGP Tripura on 09.05.2015 at PHQ, Agartala exhibited as Ex. SW-1/10 and a copy interrogation report of surrendered SS COAS of NLFT, namely, Pasaram Tripura @ T. Thomas @ Wathup surrendered on 10.01.2014 before the DGP, Tripura exhibited as Ex. SW-1/11. Ex. SW-1/10 revealed that the surrendered extremist was involved in criminal activities of kidnapping of innocent people, collection of extortion money etc. Ex. SW- 1/11 also revealed about the involvement of NLFT in extremist activities.
- SW-1 in his affidavit, discussed that the border population especially under Dhalai district is under constant threat of NLFT extremist group as extortion notices in numerous occasions for payment of so-called tax have been served to the villagers. The copies of extortion notices along with copies of notices issued against 9 Panchayats/Headmen of bordering areas were exhibited Ex. SW-1/12 (colly).
- SW-1 in his affidavit, revealed that intelligence inputs generated by different government agencies like SIB, Agartala; State SB-Tripura; BSF Delhi, R&AW etc. had indicated about the movement of NLFT and ATTF inside Tripura and their frequency across the border in the close vicinity of intelligence Bureau. The copies of intelligence inputs were exhibited as Ex. SW-1/13 (colly) and Ex. SW-1/14 (colly).
- SW-1 tendered a joint statement dated 24.01.2018 of Self-Styled (SS) Leaders of 5 insurgent groups of North Eastern States viz. HNLC of Meghalaya, KCP & KYKL of Manipur, PDCK of Tripura and NLFT of Tripura declaring ban on Republic Day celebration of India at West East South East Asia (WESEA) region and calling for a total shut down in the entire region for 11 hours from 6 AM to 5 PM on 26.01.2018 which was exhibited as Ex. SW-1/15.
- SW-1 further pointed that NLFT observe 15th October as Black Day every year in protest of joining of Tripura with Indian Union and a copy of observance of Tripura Merger Day as Black Day was exhibited as Ex. SW-1/16.
- SW-1 in his affidavit, further revealed that 18 tribal youths under Chawmanu and Manikpur PS area were lured by the members of NLFT (BM) to join the outfit with an attempt to revive the outfit in 2017 and were taken to Camps inside Bangladesh out of which 14 youths returned home but remaining 4 did not return, indicating the planning of NLFT to revitalize with young blood and money. The copy of details of 18 youths taken to Bangladesh from Chawmanu PS area was exhibited as Ex. SW-1/17.
- SW-1 tendered a copy of active ATTF Leaders marked as Ex. SW-1/18. In his affidavit, he quoted about the possession of large number of sophisticated arms and ammunitions by the ATTF and kept concealed in the forest areas of Satcherri and Khagracherri region in Bangladesh. SW-1 further quoted that the ATTF still maintains a safe-house at Dhaka, Bangladesh and the cadre strength is around 15-20.
- SW-1 mentioned that unlawful activities of NLFT and ATTF are desperate attempts to thwart developmental works in the State, particularly, in the interior belts inhabited by the tribal people and to create an atmosphere of panic and fear; generate a sense of insecurity in the minds of peace loving people with a view to exploit them as well as to make their presence felt in order to facilitate the outfits to carry out anti-national and unlawful activities; killing, kidnapping/abduction of innocent people for raising fund to carry out disruptive activities; killing of security personnel for looting of arms and ammunitions. The copy of intelligence report was exhibited as Ex. SW-1/19.
- SW-1 in his affidavit, cited some criminal activities committed by NLFT and ATTF since 03.10.2013 till date and registered in police stations of the State as under:-
- a. On 09.11.2014 at about 1930 hrs., 8-9 unknown NLFT armed extremists raided house of the complainant Sri Falguni Tripura at Manya Kumar PS of Dhalai District and abducted his son Alendra Tripura (22) & his relative Gunadhar Tripura (18) on the gun point and retreated towards Bangladesh

- border. Accordingly, Raishyabari PS Case No. 21/14 dated 09.11.2014 u/s 148/149/365/34 IPC, 27 of Arms Act and 10/13 of the Act was registered which is still under investigation. The copy of FIR is exhibited as Ex. SW-1/20.
- b. On 09.08.2014 at about 2300 hrs, 6-7 armed NLFT extremist making a criminal conspiracy raided the house of victims, namely Uday Ram Reang (29) and Juriham Reang (26) at New Joyram under Gandacherra PS of Dhalai District and abducted the victims on the point of arms and handed over a notice to pay the dues of so called taxes of last four years as ransom. Accordingly, Gandacherra PS Case No. 25/14 dated 10.08.2014 u/s 120(B)/364(A) IPC, 27 of Arms Act and 10/13 of the Act was registered. The case is pending investigation. The copy of FIR has been exhibited as Ex. SW-1/21.
- c. In the intervening night of 30.09.2014/01.10.2014, 3-4 unknown NLFT armed extremist entered the Jhum hut of Barendra Tripura of Girachandra in Gandacherra PS of Dhalai District and asked to show them way for going to a certain destination. Barendra Tripura (30) and his younger brother Harendra Tripura (25) went out to accompany the unknown extremist but they did not return immediately. Barendra Tripura returned on 09.10.2014 and Harendra Tripura returned on 27.11.2014 as both of them were abducted by NLFT extremist for ransom. Accordingly, Gandacherra PS Case No. 34/14 dated 01.10.2014 u/s 364(A) IPC, 27 of Arms Act and 10/13 of the Act was registered. Investigation of the case is going on. The copy of FIR is exhibited as Ex. SW-1/22.
- d. On 29.08.2015 at 1230 hrs, the FIR named NLFT cadres namely Dunjoy Tripura (35), Santijoy Tripura (25) and Manjoy Tripura (30) all of Malda Kumar, PS Ganganagar went to Reza (Mayani) inside Bangladesh after crossing Indo-Bangladesh Border through a culvert at Malda Kumar under Ganganagar PS of Dhalai District, in between border pillar No. 2278 & 2279. In the evening, one a/p returned from Bangladesh and distributed 03 nos. printed text demand notice of NLFT group to villagers. Accordingly, Ganganagar PS Case No. 03/15 dated 31.08.2015 u/s 120 (B) IPC, 12 of Passport Act and 13 of the Act was registered. Charge sheet had been filed against the accused persons. The copy of FIR is exhibited as Ex. SW-1/23.
- e. On 01.08.2014 at about 1430 hrs, on the basis of a secret information, the complainant Sri Sanjoy Nair, Lt. Colonel, 166 Territorial Army conducted search in a rented house at Pragati Road near Meher Kalibari, Agartala under West Tripura District and recovered two bundles of so called tax collection receipts of NLFT with cash of Rs. 5000 and detained two suspected NLFT cadres, Indra Joy Reang, S/o Sri Ram Prasad Reang of Ram Bahadur, PS Kanchanpur North Tripura and Sri Jyotish Debbarma S/o Lt. Subodh Debbarma of Uttar Ghilatali, PS Kalyanpur. Accordingly, West Agartala PS Case No. 133/14 dated 01.08.2014 u/s 384 IPC and 1(3) of the Act was registered. The copy of FIR is exhibited as Ex. SW-1/24.
- f. On 19.09.2015, Sub Inspection Bideswar Sinha of West Agartala PS lodged suo-moto complaint against 07 NLFT cadres, namely, Sri Chandrashekhar Debbarma and others after conducting preliminary investigation u/s 157(1) of Cr. P.C. for commission of offence u/s 121/124(A)/386/120(B) IPC and 10/13 of the Act and 3 of IPP Act. Accordingly, West Agartala PS Case No. 2015 WAG 136 dated 19.09.2015 u/s 121/124(A)/386/120(B) IPC and 10/13 of the Act and 3 of Indian Passport Act was registered. The Chargesheet had been filed on 27.06.2016. The copy of FIR is exhibited as Ex. SWw-1/25.
- g. On 02.03.2014 in between 1900 hrs to 2000 hrs, the complainant along with her husband Sri Kalaram Reang and three daughters were sleeping in their house at Nutanpara (Maipara) near the border link road of Saigherpur to Joymoni border outpost under Anandabazar PS of North Tripura District. One unknown person wearing olive-green colour dress told her husband to go with him on the gun point. The complainant identified two extremists by- face Sri Debsighrai Reang and Sri Majairam Reang both of Saigherpur Village. The extremists took her husband to Bangladesh through Saigherpur Village. Accordingly, Anandabazar PS Case No. 3/14 dated 04.03.2014 u/s 120(B)/365 IPC and 27 (II) Arms Act was registered. Charge sheet had been filed on 10.06.2014 against 4 NLFT cadres. The copy of FIR has been exhibited as Ex. SW-1/26.
- h. On 17.11.2014, a water tanker no. TR-01-K-1706 of border road construction agency namely 'Costal Construction Company' under cover of BSF protection went to fetch water and after collecting water, as the driver of the tanker reached at PO in between Khantlang and Pusparampara under Vangmum PS of North Tripura District, 4-5 NLFT extremists suddenly attacked the vehicle by opening fire from sophisticated weapons. Resultantly, bullet injuries to the driver Jiten Chakma and guard Hav. Adil Abbas were caused and the tanker got collided with Indo-Bangladesh border fencing and got severely damaged. Accordingly, Vangmum PS Case No. 2014/VGM/007 dated 17.11.2014 u/s 148/149/120(B)/326/307/302 IPC and 27 of Arms Act was registered. Since the involved NLFT

- miscreants could not be identified during investigation, the case was ended in final report. The copy of FIR exhibited is Ex. SW-1/27.
- i. On 08.11.2016 at about 0830 hrs, one Tangling Bashi Malsum entered in the house of the complainant Danga Bahadur Malsum and handed over some extortion notices of NLFT on the notice paid of NLFT issued by one Mg. D. Bwskang, Deputy Collector, Ministry of Finance Affairs of NLFT group with the direction to pay yearly so-called 'subscription'. The extortion notices were given to Tangling Bashi Malsum by two unknown persons on 07.11.2016 at 1830 hrs at Dakbari with a direction to hand over the same to the complainant and 16 other Panchayat Members and Engineers of Killa R.D. Block. Accordingly, Killa PS Case No. 16/2016 (KLA 016) dated 07.11.2016 u/s 384/511/120(B) IPC was registered. The copy of FIR is exhibited as Ex. SW-1/28.
- j. On 19.11.2016 at about 0600 hrs, one Apijoy Tripura of PS Raishyabari received some extortion notices in a bundle from unknown NLFT extremists for collection of extortion money which were found in front of his house. The notices were addressed to 07 Village Headmen of Raishyabari area. Accordingly, Raishyabari PS Case No. 14/2016 (RSB 014) dated 22.11.2016 u/s 385 IPC was registered. The copy of FIR is exhibited as Ex. SW-1/29.
- k. On 09.04.2017 morning, the complainant namely Sri Chandra Kr. Debbarma of PS Bishramganj received one extortion letter in his name from Amarendranagar in an envelope. The so-called 'letter of subscription notice' in English was printed on the pad of National Liberation Front of Twipra with signature of one Mg. D. Bwskang (NLFT), Deputy Collector, Ministry of Finance Affairs dated 08.04.2017 with direction to give so-called 'subscription' money of Rs. 10 lacs. The complainant also learnt that similar notices were given to 5 more persons of PS Bishramganj. Accordingly, Bishramganj PS Case No. 12/2017 (BRL 012) dated 09.04.2017 u/s 385 IPC was registered. The copy of FIR is exhibited as Ex, SW-1/30.
- On 29.09.2017, a so-called 'subscription notice' was served to Boalkhali ADC village against Madanjoy Roaja, Puspdhan Roaja, Harchandra Roaja and Tarani Roaja under Raishyabari Police Station. Accordingly, Raishyabari PS Case No. 2017 RSB 018 dated 04.10.2017 u/s 385/120(B)/153 IPC was registered. Investigation in the matter is in progress. The copy of FIR has been exhibited as Ex. SW-1/31.
- n. On 07.11.2017 afternoon, Ranjit Debbarma, SS Chief of ATTF, gave provocative & seditious speech and threatened to take arms again at Dusky Market under Teliamura PS in Khowai_ District. Accordingly, Teliamura PS Case No. 83/2017 dated 09.11.2017 u/s 124 (A)/153(A)(B)/120(B) IPC read with Section 10/13/18 of the Act and 82 of Tripura Police Act was registered. The copy of FIR is exhibited as Ex. SW-1/32. The development in the case was that Ranjit Debbarma along with his associates had been charge sheeted. As regards a past case, the ATTF Chief Ranjit Debbarma along with 62 cadres had also been charge sheeted for unlawful and anti-national activities in East Agartala PS Case. No. 38/1998 u/s 153(A)/153(B)/120(B)/121(A)/122 IPC and 10/13 of the Act.

SW-1 in his affidavit, professed that since the formation of NLFT in 1989 and ATTF in 1992, they had been responsible for series of violent and unlawful activities with intend to achieve their ultimate objective i.e. so-called Liberation of Tripura from the Indian Union and the activities were detrimental for the interest of national safety and security.

- (17) In his deposition, SW-2 Mr. Arup Deb, Under Secretary, Home Department, Government of Tripura tendered his affidavit dated 01.02.2019, marked as Ex. SW-2/A and signatures were marked at point 'A' & 'B'. SW-1, in his affidavit, declared about the steps taken for wide publicity and effect the service of notice on NLFT and ATTF in terms of the orders passed by this Tribunal. He tendered 6 documents. The document showing the wide publicity of the notice dated 27.11.2018 issued by the Tribunal through pasting and beat of drums/loud-speakers in various districts of Tripura was marked as Ex. SW-2/1 (colly). The document showing wide publicity of notice in 4 local newspapers 'Tripura Times', 'Dainik Sambad', 'Daily Desher Katha' and 'Syandan Patrika' is marked as Ex. SW-2/2 (colly). The document showing the wide publicity of notice through AIR Agartala and Doordarshan Agartala is marked as Ex. SW- 2/3. The document showing the wide publicity of notice through police administration of the State is marked is Ex. SW-2/4. The document showing wide publicity of notice through uploading the same in Tripura State Portal is marked as Ex. SW-2/5. The document showing wide publicity of notice through State Government Press Release in local daily newspapers 'Dainik Sambad' etc. is was marked as Ex. Sw-2/6 (colly).
- (18) Since 8 victim/witnesses, SW-3 to SW-10 did not know either English or Hindi language, on the request of the counsel appearing for the State of Tripura, the services of Ms. Emilia Reang, Deputy Director (Audit), Finance Department, Government of Tripura, present in the Tribunal, was allowed for interpreting the language.

- (19) In his deposition, SW-3 Sri Alindra Tripura, victim of Raishyabari PS Case No. 21/2014 dated 09.11.2014 tendered his affidavit dated 01.02.219 in evidence, marked as Ex. SW-3/A and his signatures are marked at point 'A' & 'B'. SW-3 deposed that on 09.11.2014 Sunday night at about 07.30 PM, 8/9 armed NLFT extremists raided his house and entered into his dwelling hut while he and one of his close relative Gunadhar Tripura were taking food and the extremist group forcibly abducted them on gun point. The involved militants belonged to NLFT group. Accordingly, on the complaint of his father Mr. Falguni Tripura, the FIR No. 21/2014 dated 09.11.2014 was registered at PS Raishyabari. The copy of FIR has already been exhibited as Ex. SW-1/20.
- (20) In his deposition, SW-4 Sri Udayram Reang, victim of Gandacherra PS Case No. 25/2014 dated 10.08.2014 tendered his affidavit dated 01.02.2019 in evidence, marked as Ex. SW-4/A and his signatures are marked at point 'A' & 'B'. SW-4 deposed that on 09.08.2014 at about 11 PM, he was at his Jnum hut along with another Juriham Reang near his village namely New Joyram Para under Gandacherra PS. At that time, 6/7 armed extremists entered his Jhum hut and abducted them at gun point. After abduction, they were released and the said extremist group left one letter on behalf of NLFT group mentioning therein that they would be released once the dues subscription for the last four years is paid. Accordingly, on the complaint of one Falgunjoy Reang on 10.08.2014 to the Officer In-charge, Gandacherra PS, the FIR No. 25/2014 dated 10.08.2014 was registered. The copy of FIR has already been exhibited as Ex. SW-1/21.
- (21) In his deposition, SW-5 Sri Barendra Tripura, one of the victims of Gandacherra PS Case No. 34/2014 dated 01.10.2014 tendered his affidavit dated 01.02.2019 in evidence, marked as Ex. SW-5/A and his signatures are marked at point 'A' & 'B'. SW-5 deposed that on 30.09.2014 at about 12 midnight, one unknown armed extremist called him from his Jnum hut and abducted him and his brother Harendra Tripura at gun point. The extremist belonged to NLFT group and asked them to pay tax. Since they did not pay any money, they were abducted. SW-5 was taken towards Bangladesh and on payment of ransom, they were released. Accordingly, on the complaint of Renumala Tripura, FIR No. 34/2014 dated 01.10.2014 was lodged at Gandacherra Police Station. The copy of FIR has already been exhibited as Ex. SW-1/22.
- (22) In his deposition, SW-6 Sri Kalaram Tripura, victim of Anandabazar PS Case No. 03/2014 dated 04.03.2014 tendered his affidavit dated 01.02.2019 in evidence, marked as Ex. SW-6/A and his signatures are marked at point 'A' & 'B'. SW-6 deposed that on 02.03.2014 at about 07/08 PM, while he along with his wife and three daughters were sleeping in their house at Natunpara (Maipara) near the border link road of Saigherpur to Joymoni border outpost, one unknown person wearing olive-green colour dress told him to come with him. He identified two persons as Sri Debsinghrai Reang and Sri Majairam Reang both of Saigherpur village with another person in olive-green colour dress, having a gun. They moved towards Bangladesh through Chaigarhpur village and towards South East direction of Amar BSF BOP. The involved militants belonged to NLFT group. Accordingly, on the complaint of his wife on 04.03.2014, FIR No. 03/2014 dated 04.03.2014 was registered at Anandabazar PS. The copy of FIR has already been exhibited as Ex. SW-1/26.
- (23) In his deposition, SW-7 Sri Tangling Basi Malsum, victim of Killa PS Case No. 16/2016 dated 07.11.2016 tendered his affidavit dated 01.02.2019 in evidence which is marked as Ex. SW-7/A bearing his signatures at point 'A' & 'B'. SW-7 deposed that on 07.10.2016, Saturday morning at about 8 O' clock, he entered in the house of Danga Bahadur Malsum R/o PS Killa and hander over some extortion notices on behalf of NLFT extremist in notice pad of NLFT issued by one Mg. D. Bwskang, Deputy Collector, Minister of Finance Affairs of NLET group which were given to him with a direction to hand over the same to Danga Bahadur Malsum and 16 other Panchayats member, and Engineers under Killa RD Block. Accordingly, as per the directions of NLFT extremists, he handed over those extortion notices. On the complaint of Danga Bahadur Malsum, FIR No. 16/2016 dated 07.11.2016 was registered in PS Killa. The copy of FIR has already been exhibited as Ex. SW-1/28.
- (24) In his deposition, SW-8 Sri Apijoy Tripura, victim of Raishyabari PS Case No. 14/2016 dated 22.11.2016 tendered his affidavit dated 01.02.2019 in evidence which is marked as Ex. SW-8/A bearing his signatures at point 'A' & 'B'. SW-8 deposed that on 19.11.2016, Saturday morning at about 6 AM, he received some extortion notices in a bundle from unknown NLFT extremist for collection of extortion money, found in front of his house. The notices issued by NLFT extremists were addressed to 7 village headmen of Raishyabari area. The involved militants belonged to NLFT group. Accordingly, FIR No. 14/2016 dated 22.11.2016 was registered in PS Raishyabari. The copy of FIR had already been exhibited as Ex. SW-1/29.
- (25) In his deposition, SW-9 Sri Chandra Kumar Debbarma, complainant of Bishramganj PS Case No. 12/2017 dated 09.03.2017 tendered his affidavit dated 01.02.2019 in evidence, marked as Ex. SW-9/A and his signatures are marked at point 'A' & 'B'. SW-9 deposed that on 09.04.2017 morning, he received a letter in a close envelope in his name from Amarendra Nagar. In the envelope, he found a letter on the pad of NLFT

- signed by D. Bwskang, Deputy Collector, Ministry of Finance Affairs written therein to pay Rs. 10 lacs. He learnt that similar letters were also issued to Sri Harinath Debbarma, Sri Kishore Debbarma, Sri Sriram Debbarma, Sri Bhagaban Debbarma and Sri Nanda Debbarma. On receiving the letter, he became mentally disheartened and lodged a complaint to Bishramganj PS. Accordingly, FIR No. 12/2017 dated 09.03.2017 was registered in PS Bishramganj. The copy of FIR has already been exhibited as Ex. SW-1/30,
- (26) In his deposition, SW-10 Sri Jiten Chakma, victim of Vangmum PS Case No. 07/2014 dated 17.11.2014 tendered his affidavit dated 01.02.2019 in evidence which is marked as Ex. SW-10/A bearing bears his signatures at point 'A' & 'B'. SW-10 deposed that on 17.11.2014, he went to fetch water in water tanker of border road construction agency 'Costal Construction Company' under cover of BSF protection. After collection of water, on reaching in between Khantlang, suddenly 4/5 NLFT extremists attacked his vehicle by opening fire from sophisticated weapons causing bullet injuries upon him and two others. The water tanker collided with Indo-Bangladesh border fencing and got badly damaged. The injured persons were airlifted to G.B.P Hospital, Agartala. Accordingly, FIR No. 07/2014 dated 17.11.2014 was registered in PS Vangmum. The copy of FIR has already been exhibited as Ex. SW-1/27
- (27) In his deposition, SW-11 Sri Bideswar Sinha/Singha, Sub-Inspector of Police, posted at Kalyanpur Police Station District Khowai, Tripura and also the complainant of West Agartala PS Case No. 136/2015 dated 19.09.2015 tendered his affidavit dated 01.02.2019 in evidence which is marked as Ex. SW-11/A bearing his signatures at point 'A' & 'B'. SW-11 deposed that two militant outfits, namely, NLFT and ATTF and its various factions/wings were active in the State. On 19.09.2015, while he was posted at West Agartala PS as Sub-Inspector, lodged a suo-moto complaint against 7 NLFT cadres, namely, Sri Chandrasekhar Debbarma, Sri Rajesh Debbarma, 5ri Kanendra Tripura, Binduram Tripura, Subrata Debbarma, Kajal Debbarma and Rajiv Debbarma and some other unknown persons. After conducting preliminary investigation u/s 157 (1) of Cr.P.C. for commission of offence u/s 121/124(A)/153(A)(B)/386/120(B) of IPC, 10/13 of the Act and 3 of Indian Passport Act was registered vide FIR No. 136/2015 dated 19.09.2015 at PS West Agartala. The copy of FIR has already been exhibited as Ex. SW-1/25. Charge sheet of the same has been filed in the case on 27.06.2016.
- (28) In his deposition, SW-12 Sri Gautam Debbarma, Sub-Inspector of Police, presently posted as Officer Incharge of Abhoynagar TOP, PS New Capital Complex, West Tripura, Agartala and also the complainant of Raishyabari PS Case No. 18/2017 dated 04.10.2017 tendered his affidavit dated 01.02.2019 in evidence, marked as Ex. SW-12/A bearing his signatures at point 'A' & 'B'. SW- 12 deposed that the two militant outfits, namely, NLFT and ATTF and its various factions/wings were active in the State. Their aims and objects were secessionist indulging in violent activities within the State. On 29.09.2017, while he was posted at Raishyabari PS as Sub-Inspector, so-called 'subscription' notice was served to Boalkhali ADC village against Madanjoy Roaja, Puspdhan, Harchandra Roaja and Taran Roaja. Accordingly, cussnets Case No. 18/2017 dated 04.10.2017 u/s 385/120(B)/153 IPC was registered in PS Raishyabari. The copy of FIR has already been exhibited as Ex. SW-1/31. Investigation in the matter is under progress.
- (29) In his deposition, SW-13 Sri Umacharan Tripura, Sub-Inspector of Police, presently posted at Dhumachara Police Station and also the Investigating Officer of Teliamura PS Case No. 83/2017 dated 09.11.2017 tendered his affidavit dated 01.02.2019 in evidence which is marked as Ex. SW-13/A bearing his signatures at point 'A' & 'B'. SW-13 deposed that the two militant outfits, namely, NLFT and ATTF and its various factions/wings are active within the State. While he was posted at Teliamura PS as Sub-Inspector, on 07.11.2017 afternoon, Ranjit Debbarma of ATTF gave provocative and seditious speech and threatened to take arms at Duski Market under Teliamura PS, Khowai District. Accordingly, FIR No. 83/2017 dated 09.11.2017 u/s 124(A)/153(A)(B)/120(B) IPC read with 82 of Tripura Police Act, 2007 was registered in Teliamura PS. The copy of FIR has already been exhibited as Ex. SW-1/32. Charge sheet had been filed in the case.
- (30) Despite ample opportunity given, no one appeared on behalf of NLFT and ATTF during the proceedings of the Tribunal and thus, none of the State witnesses was cross-examined. The proceedings of the Tribunal were fixed for 03rd February, 2019, the date already fixed, for examination of witnesses, if any, including public witnesses.
- (31) On 03rd February, 2019, the counsel appearing for State of Tripura submitted that State Government had no more witness to be produced. Even no public witness was present. Accordingly, the evidence of the State of Tripura was concluded. The substantial affidavit dated 30.01.2019 filed by the Central Government was taken on record. The proceedings of the Tribunal were fixed for 25th February, 2019 in Delhi High Court for recording the evidence of Central Government and cross-examination, if any.
- (32) On 25th February, 2019, the Central Government witness, CW-1, Ms. Neeta Gupta tendered her affidavit dated 30.01.2019 in evidence which is marked as Ex. CW-1/1 bearing her signatures at point 'A' & 'B'. CW-1 also tendered 5 documents in support of her affidavit. The annexed brief resume regarding the

aims/objectives and violent activities of NLFT and ATTF is exhibited as Ex. CW-1/A. The annexed copies of constitution of NLFT and ATTF are marked as EX. CW-1/B and EX. CW-1/C Which has already been exhibited by SW-1 as Ex. SW-1/1 and Ex. SW-1/2. The gist of cases of NLFT militants involved during the period from 03.10.2013 to 29.09.2017 is exhibited as Ex. CW-1/D. CW-1 verified the true copy of Notification No. 5078(E) dated 03.10.2018 is exhibited as Ex. CW-1/E.

CW-1 deposed that the NLFT was formed in June 1989. In February, 2001, Nayanbasi Jamatia, one of the top leaders of NLFT came out of the outfit along with his followers and formed a new group with the name of NLFT (N) and signed a memorandum—of settlement on 17.12.2004 with the Government and some cadres of the group joined the mainstream. On the other hand, majority of the cadres of NLFT under the leadership of Biswamohan Debbarma known as NLET (B) had continued to indulge in violent and unlawful activities. The ATTF was formed in 1993 and Ranjit Debbarma was leading the group. The professed aim of NLFT and ATTF was to establish a separate State by cessation of Tripura from the Indian Union in alliance with other armed secessionist organizations of North-Eastern Region and the extortion, looting and kidnappings for ransom are the major sources of income of NLFT. Despite, the imposition of ban w.e.f. 03.04.1997 and extension from time to time, the unlawful activities of NLFT and ATTF are continued. In the last five year from 2013 to 2018, there were 12 violent incidents carried out by NLFT in which 2 security forces personnel and 1 civilian were killed including 21 abductions by the outfit. Accordingly, the Central Government had declared the NLFT and ATTF as 'Unlawful Associations' under the Act for a further period of five years w.e.f. 03rd October, 2018 for reasons of their continued activities of violence and terror with the aim of cessation of Tripura from India. In case of delay in giving effect to the notification, the organizations might take undue advantage and mobilize their cadres for escalating secessionist, subversive terrorist and violent activities in the State.

- (33) During the course of hearing, CW-1 produced a sealed envelope containing comments/ views received from the Government of Tripura, Ministry of Defence, Intelligence Buraeu, Cabinet Secretariat (Research & Analysis Wing), Directorate General, CRPF and Directorate General, BSF for the perusal of this Tribunal.
- (34) Despite sufficient opportunity given, no one appeared on behalf of NLFT and ATTF during the proceedings of the Tribunal on 25th February, 2019 and thus the witness was not cross-examined.
- (35) The Central Government and State Government of Tripura while summing up of the case submitted their arguments to the effect that:
 - a. The NLFT was formed in June, 1989 and ATTF was formed in 1993. Both NLFT and ATTF had the professed aim to establish a separate country by cessation of Tripura from the Indian Union in alliance with other armed secessionist organizations of the North-Eastern Region. NLFT continues to remain active in North Tripura, Dhalai, Gomati and West Tripura Districts and is in possession of around 200 arms along with a huge quantity of explosives. ATTF is also estimated to possess large number of sophisticated arms and ammunitions hidden in Bangladesh.
 - b. Both NLFT and ATTF had been indulging in secessionist, anti-national and disruptive activities on the soil of Tripura to destabilize democratically constituted government towards their goal of secede Tripura from the Indian Union through an armed struggle.
 - c. The NLFT cadres were continuously engaged in serving extortion notices and collecting extortion money from traders, contractors, shopkeepers, Government employees and villagers including Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) and Indira Awaas Yojana (IAY) beneficiaries in Tripura and thus Extortion, looting and kidnappings for ransom were the major sources of income of NLFT.
 - d. The ATTF had indulged in prejudicial activities such as (i) boycotting of Republic Day and Independence Day celebrations in conjunction with NLFT; (ii) hoisting black flags on those days; (iii) thwart development works in the State, in the interior belts inhabited by the tribal people and to create an atmosphere of panic and fear; (iv) to generate a sense of insecurity in the minds of peace loving people with a view to exploit them as well as to make their presence felt in order to facilitate the outfits to carry out anti-national activities.
 - e. The leaders of ATTF had made efforts to reorganize themselves under the aegis of Tripura United People's Council (TUPC) formed in October, 2017 to raise demands for rehabilitation of surrendered cadres and some of the leaders delivered inflammatory speeches against merger of Tripura princely State with the Indian Union.
 - f. Despite imposition of ban w.e.f. 03 April 1997 and its extension from time to time, the NLFT and ATTF had continued their unlawful activities and in the last five year during 2013 to 2018, 12 violent

- incidents carried out by NLFT had been reported in which 2 security forces personnel and 1 civilian were killed including 21 abductions for ransom.
- g. The State Government of Tripura, Ministry of Defence, Intelligence Bureau, Cabinet Secretariat (Research & Analysis Wing) and Central Reserve Police Force had been consulted and recommended for continuance of ban on NLFT and ATTF. BSF also recommended for declaration of NLFT as an 'Unlawful Association'.
- h. The previous notification issued on 03.10.2013 was confirmed by the Tribunal u/s 4 of the Act and consequently the ban was imposed upon the NLFT and ATTF up to 02.10.2018.
- i. The NLFT and ATTF had been declared as 'Unlawful Associations' by the Central Government under the Act for a further period of five years w.e.f. 03rd October, 2018 vide notification No. S.0. 5078(E) dated 03.10.2018 for reasons of their continued espousal of the policy of cessation of Tripura from India; continued engagement in activities prejudicial to sovereignty and integrity of India; continued use of violence and terror through armed action as a means for achieving their objectives; extortions and illegal tax collections from the public including businessmen, traders and even government employees and continued maintenance of sanctuaries, safe havens and training camps in neighboring countries.
- j. The State Government of Tripura has placed its evidences through Superintendent of Police, Under Secretary (Home Department), 3 Sub-Inspectors of Police and 8 victims/witnesses. The 13 State witnesses have deposed before this Tribunal and 13 evidences on affidavits have been filed which are duly exhibited.
- k. The Central Government has placed its evidence through Director, Ministry of Home Affairs, Government of India. The witness has deposed before this Tribunal and evidence on affidavit has been filed which is duly exhibited.
- (36) In addition to above, perusal of the documents in sealed cover supports the case of the Central Government. The details of these documents are not discussed for obvious reasons. Suffice it to say that these documents suggest that:-
 - (a) There is no decline in the violent activities of the associations and that has kept the security forces of both the Central Government and the State Government on a high alert.
 - (b) the associations have continued with their secessionist activities.
 - (c) The NLFT and ATTF have been advocating extortionism, killing of innocent people and thus, creating unrest in the State of Tripura.
- (37) The evidence in the matter produced both by the Central Government and State of Tripura, united with the lack of any denial of the above facts by the NLFT and ATTF or any contest by the organizations, the submissions of learned counsel for the State of Tripura are liable to be accepted. The documents produced by the Government of India and State of Tripura manifest that the intention of NLFT and ATTF is to craft violent activities in the State of Tripura creating an unrest in the State which is prejudicial to the safety and security of the nation and thus an Unlawful Activities u/s 2 (o) of the Act.
- (38) A cumulative analysis of the entire evidence on record indubitably suggests that the activities of NLFT and ATTF are unlawful and the conclusion of the Central Government that the associations have been engaging in violent activities undermining the authority of Government and spreading terror and violence among the people for achieving their objectives of secession of Tripura from the Indian Union, is entirely justified. The Opinion of the Central Government that the association is engaging in violent and unlawful activities to establish their aims and objectives, are detrimental to the sovereignty and integrity of India, is also justified.
- (39) The Central Government as well as the State Government of Tripura have produced sufficient evidence in support of the conclusion that the associations have indulged in killing of civilians and personnel belonging to the police and security forces in the State of Tripura; extortion of funds from the public including businessmen and traders and establishing; and maintaining camps in various parts of Tripura and neighboring countries for the purpose of safe, sanctuary, training, procurement of arms and ammunitions.
- (40) The Central Government and the State Government of Tripura have also been able to convince the Tribunal that in case of no immediate curb and control of the NLFT and ATTF, the organizations will grab the opportunity to mobilize their cadres and for escalating their secessionist, subversive and violent activities, propagate anti-national activities, indulge in killing civilians, police and security forces personnel, collection of illegal arms and ammunitions and extortion and collection of funds from the public illegally and thus to establish their unlawful activities.

(41) Under the circumstances, the Government has shown the sufficient cause for confirming the declaration made under section 3 (1) of the Act as well as section 3 (3) of the Act.

(42) Consequently, it is concluded by the Tribunal that the issuance of the Notification No. S.0, 5078(E) dated 03.10.2018 is totally justified. There is sufficient cause for declaring the NLFT and ATTF as Unlawful Associations with effect from 03rd October, 2018 for a period of five years.

JUSTICE SURESH KUMAR KAIT

Unlawful Activities (Prevention) Tribunal

March 14th, 2019